आधुनिक चाणक्य

□ देवीदास आर्य

काँग्रेस के तीस वर्षीय कुशासन से भारत के जन साधारण को त्राण दिलाने तथा प्रमुख विरोधी दलों के ध्रुवीकरण में माननीय चौधरी चरणसिंह जी की ठीक वही भूमिका रही, जो प्राचीन काल में चाणक्य की रही है। अतः चौधरी साहब को आधुनिक चाणक्य कहने में किंचित भी अतिशयोक्ति न होगी। वे चाणक्य की तरह तानाशाही की जड़ों में मट्ठा डालने की प्रकिया की ओर अग्रसर हैं और नाना प्रकार की रुकावटों के बाद भी वह अपने ध्येयपूर्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं।

मैं व्यक्तिगत रूप से चौधरी साहब का और उनकी नीतियों का प्रशंसक हूँ और विशेष रूप से उनके स्वदेशी विषयक विचारों का हार्दिक सम्मान करता हूँ। आज तक किसी प्रशासक का ग्रामोत्थान की तरफ ध्यान नहीं गया या यह कहना उचित होगा कि मूल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। चौधरी साहब ने गाँधी जी की नीतियों के आधार पर ग्रामोत्थान का जो बीड़ा उठाया है, उसकी मैं हार्दिक प्रशंसा करता हूँ। सही रूप में अगर देश भक्ति या स्वदेशी की भावना कहीं जन्म ले सकती है, तो वह ग्राम विकास द्वारा ही सम्भव है। यही सच्ची देश-भक्ति का उदाहरण है।

ग्रामोत्थान के अपने ध्येय और आदर्श की प्राप्ति के लिए चौधरी चरण सिंह ने जो प्रयत्न किए, वे विचारणीय हैं। उनका ध्येय-समर्पण अनुकरणीय है। वह भारतीयता को जिस ढंग से संगठित करने के लिये प्रयत्नशील हैं, उससे अन्य राजनीतिक नेताओं को शिक्षा लेनी चाहिए। जो लोग उनके सिद्धान्तों से सहमत नहीं हैं वे भी उनकी देशभक्ति पर शंका नहीं कर सकते। उन्होंने 'सादा-जीवन' 'उच्च-विचार' की सूक्ति को कार्यरूप मे परिणत करके एक उदाहरण पेश किया है। भारत का अतीव गौरवमय चित्र अपनी आँखों के सामने रखकर, वर्तमान परिस्थिति में जो दुर्दशा हुई है उससे ऊपर उठकर, फिरसे उसे गौरवपूर्ण स्थान पर स्थापित करना ही उनका महान व्रत है।

चौधरी साहब शक्ति के प्रेरणास्रोत, गौरवशाली अतीत के प्रति जागरूक व अपने ऐतिहासिक व्यक्तित्व को बनाये रख कर आगे बढ़ने वाले शक्तिशाली और संगठित भारत के निर्माता हैं। भारतीय किसानों के वे स्वय मसीहा हैं। केवल लोकप्रियता की ही गणना करें तो भी कहा जा सकता है कि वायु से फैलने वाली सुगन्ध के समान कीर्ति से बढ़कर चौधरी साहब की कीर्ति उस प्राणदायक औषधि के समान रही जहाँ उसकी आज भी आवश्यकता है।

चौधरी साहब का जीवन एक खुली किताब के समान है, जिसे सब पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप कई मुद्दों पर उनसे सहमत न हों पर इसका कोई महत्व नहीं; महत्व तो इस बात का है कि आप उनमें एक ऐसे व्यक्ति और चरित्र का दर्शन कर रहे हैं जो निष्कलंक, निःस्वार्थ, और निर्भय है। जब अन्य नेतागण नयी योजनाओं, औद्योगीकरण, जीवन स्तर, विदेश-सम्बन्ध आदि की बातें कर रहे थे, तो चौधरी साहब अनुशासन, शक्ति, निर्भयता, चरित्र निर्माण, निःस्वार्थ

सेवा, ग्रामोत्थान तथा गतिशील देश-भक्ति की शिक्षा दे रहे थे, जिसके बिना उपरोक्त आधुनिक लक्ष्य, भारत को उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना, कदापि सम्भव नहीं है। चौधरी साहब में अत्यन्त कठोर ध्येयनिष्ठा के समान ही अत्यन्त मधुर मानवीय भावना का भी समिश्रण पाया जाता है। इस कारण उनके चारो ओर एकत्रित होने वाले जन साधारण में उनके प्रति अपूर्व श्रद्धा व प्रेम-भाव उत्पन्न हो जाता है।

चौधरी चरणसिंह का प्रारम्भिक जीवन आर्य समाज से प्रभावित है। उनकी शिक्षा-दीक्षा वैदिक वातावरण में हुई। वह अपने सार्वजनिक जीवन को आर्यसमाज की देन मानते हैं। वह महर्षि दयानन्द के अनन्य भक्तों में से हैं। उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर आर्य समाज की गहरी-अमिट छाप है। उन्हीं के शब्दों में—'आर्यसमाज देश सेवा के क्षेत्र में आने के लिए मेरा प्रथम सोपान है।' चौधरी साहब आर्य-समाज गाजियाबाद के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। 'आर्य समाज मेरी माँ है, महर्षि दयानन्द मेरे गुरु हैं' यह उद्‌गार उन्होंने लाखों के जनसमूह के बीच फूलबाग कानपुर में आर्य समाज शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निःसंकोच कहे थे। लाला लाजपतराय ने भी यही भावना व आदर आर्य समाज को दिया था। चौधरी साहब एक आर्य समाजी व महर्षि दयानन्द के अनन्य भक्त होने के कारण आर्यसमाज परिवार के गौरवरत्न हैं।

चौधरी साहब स्पष्टवक्ता, दूरदर्शी व कठिनव्रत विचार से ओत-प्रोत देश के महान नेताओं में प्रथम पद प्राप्त नेता हैं। उनकी स्पष्टवादिता व निर्भीकता का उदाहरण विधान सभा में आपात्‌काल के मध्य साढ़े तीन घटे लम्बा दिया गया ओजस्वी भाषण है, जिसने काँग्रेसी तानाशाही की धज्जियाँ उड़ा दीं और वही निर्भीकतापूर्ण भाषण ही काँग्रेसी तानाशाही के ताबूत में ठुकी एक कील साबित हुआ।

चौधरी साहब का जीवन-चरित्र भविष्य में शोध का विषय होगा। आगामी युग उनके द्वारा किये गये सद्‌कार्यों का सदा-सर्वदा ऋणी रहेगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि चौधरी साहब दीर्घजीवी हों ताकि एक प्रकाश-स्तम्भ के रूप में हमें मार्ग-दर्शन देते रहें। उनके मार्ग-दर्शन में भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाये और सही अर्थों में रामराज्य की स्थापना हो सके।

●

मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब कभी जीवन में ऐसा संकट आवे जिसे हम दूर न कर सकें, तब हमें उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए।

—गाँधी

●

पटेल से चरण सिंह तक

□ लल्लन प्रसाद व्यास

पन्द्रह अगस्त सन् १९४७ को देश स्वतन्त्र होने के बाद देश में स्वशासन की स्थापना, देश के स्वव्यक्तित्व के निर्माण और संचालन का सबसे बड़ा दायित्व-गृह मंत्रालय पर आ गया। इसी मन्त्रालय के चिन्तन, कार्य-व्यवहार और निर्धारित दिशाओं पर भारत का भविष्य निर्भर करता था। अतएव देश के भाग्य-निर्माण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विभाग गृह-मंत्रालय ही बन गया।

यह तो देश का सौभाग्य था कि स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृह-मन्त्री सरदार पटेल जैसे सुयोग्य, संगठन-कुशल, सुदृढ़ और दूरदर्शी नेता बने, जिन्होंने न केवल विभाजन में उत्पन्न चारो तरफ फैली साम्प्रदायिकता की आग और अशान्ति से देश को बचाया, बल्कि देश के कोने-कोने में विद्यमान देशी रियासतों को भारतीय गंघ में शामिल कराकर भारतीय एकता का भगीरथ-प्रयास किया, जो दुनिया के इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इस एकीकरण से देश की एकता और अखण्डता कायम रह सकी, अन्यथा अनेक राज्य भारत में रहकर भी भारतीय संघ से अलग रहने का स्वप्न भी देखने लगे थे। स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृह मन्त्री के रूप में सरदार पटेल की प्रसिद्धि एक ऐसे शक्तिशाली और दृढ़-प्रशासक के रूप में हो गई थी, जिससे भारत के बाहरी और अन्दरूनी दुश्मन पस्तहिम्मत हो गये थे। यदि भारत की स्वतन्त्रता के शैशवकाल में ऐसा नेता न मिला होता, तो स्थिति क्या हुई होती, यह हमारी कल्पना के बाहर की बात है। सारी दुनिया की निगाहें हमारी ओर थीं और ईर्षालु लोग ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत अपने आप ध्वस्त हो जायेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों में स्वशासन की क्षमता नहीं है। सरदार पटेल जैसे नेता ने यह आशंका निर्मूल कर दी।

हाल में एक बार भारत के वर्तमान-गृह मन्त्री चौधरी चरणसिंह ने बातचीत में अपनी यह भावना व्यक्त की थी कि यदि महात्मा गाँधी भारत के प्रधानमन्त्री हुए होते, तो भारत का सच्चा व्यक्तित्व आज स्थापित हुआ होता और भारतवासियों के चरित्र और नैतिकता में विशेष अनुकूलता उत्पन्न हुई होती। चौधरी साहब की यह कल्पना जरूर मौलिक है, किन्तु देश में यह व्यापक चर्चा हमेशा समय-समय पर होती रही है कि यदि सरदार पटेल स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री हुए होते तो कश्मीर, चीनी आक्रमण आदि की समस्याओं की उत्पत्ति न होती, बल्कि भारत एक अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा होता। जिन लोगों की ऐसी मान्यता है, वे इस सम्बन्ध में कारण यह प्रस्तुत करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कुशल प्रशासक के बजाय चिन्तक, विचारक, स्वप्नद्रष्टा अधिक रहे। इसीलिए कश्मीर-समस्या से लेकर चीन की समस्या तक में उन्हीं का योगदान रहा।

कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक तो यहाँ तक अनुभव करते हैं कि सरदार पटेल ने जिन्ना तथा अन्य मुस्लिम नेताओं के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को मानकर पाकिस्तान के अस्तित्व को इस विश्वास के साथ स्वीकार किया कि इसके निर्माण का आधार कृत्रिम है और यह आर्थिक दृष्टि से अशक्त होकर अन्ततः भारत के साथ मिल जायेगा। यद्यपि अपनी

इसी कथित मान्यता के कारण उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान के बारे में अत्यन्त व्यावहारिक नीति रखने पर बल दिया। पर वे नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया देकर अथवा इस प्रकार के कुछ अन्य कार्य करके उसे शक्तिशाली बनाया जाय। फिर भी भारत के उपप्रधानमन्त्री और गृह मन्त्री के रूप में अपने अधिकार-सीमा के क्षेत्र में उन्होंने देशहित को सर्वोच्च बनाए रखते हुए अधिकाधिक कुशल और व्यावहारिक नीति अपनायी।

भारत की जिन दो गम्भीर समस्याओं का सम्बन्ध गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल से रहा है, उनमें हैदराबाद और कश्मीर की समस्यायें प्रमुख हैं। जैसा कि पहले कह चुका हूँ, '१५ अगस्त सन् १९४७ को खंडित भारत ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की, किन्तु पाँच सौ से अधिक देशी राज्यों के 'स्वतन्त्र अस्तित्व' के रूप में स्वदेश की एकता तथा सुरक्षा के लिए एक भीषण समस्या उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिश प्रभुता की समाप्ति का यह परिणाम था। भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी सम्मिलित होने की इनको स्वतन्त्रता दी गई थी। कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर अन्य प्रायः सभी राज्यों के विलीनीकरण की समस्या सुगमता से सुलझ गई। इसका श्रेय जहाँ एक ओर स्व० लौह पुरुष सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व को है, वहाँ दूसरी ओर स्वेच्छा से भारत संघ में सम्मिलत होने का निर्णय करने वाले उन राज्यों के राजाओं तथा वहाँ के लोकप्रिय नेताओं की देश भक्ति की भी सराहना किए बिना हम नहीं रह सकते। स्मरण रहे कि यह कार्य अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। भारतीय इतिहास में जिस राष्ट्रीय महत्वकांक्षा को लेकर बिम्बसार, अजातशत्रु, अशोक, चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त तथा हर्षवर्द्धन आदि ने कार्य किया था, उसी की सफल पूर्ति का प्रयास स्वर्गीय सरदार पटेल ने किया।

हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति तथा हिन्दूबहुल जनसंख्या के अनुसार उसको १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद अन्य राज्यों की भाँति स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने का त्वरित निर्णय कर लेना चाहिए था, परन्तु वहाँ के मुस्लिम शासक ने इत्तेहादुलमुसलमीन नामक संस्था, रजाकार नेता कासिम रिजवी, पाकिस्तानी नेताओं की प्रेरणा तथा अपनी महत्त्वाकांक्षा के कारण स्वतन्त्र हैदराबाद की स्थापना के लिये साँठ-गाँठ तथा षड्यन्त्र करना प्रारम्भ किया। ब्रिटिश अधिकारियों का भी इस षड्यन्त्र में हाथ होना असम्भव नहीं है। एक ओर निजाम ने भारत सरकार से 'यथास्थिति समझौता' कर लिया और दूसरी ओर वह तथा उसके सहयोगी भारत संघ में सम्मिलत होने के निर्णय को वैधानिक वार्ताओं की आड़ में टालते हुए रजाकार संगठन तथा सैनिक शक्ति की वृद्धि के बल पर 'स्वतन्त्र हैदराबाद' की स्थापना का स्वप्न सजोने लगे। यह नाटक ब्रिटिश सरकार की ३ जून सन् १९४७ को घोषणा होने के बाद से प्रारम्भ होकर १३ सितम्बर, सन् १९४८ को हैदराबाद में की जाने वाली भारत सरकार की पुलिस कार्रवाई तक चलता रहा। इस अवधि में हैदराबाद सरकार के दर्जनों प्रतिनिधिमण्डल बारबार दिल्ली आकर समस्या को सुलझाने के स्थान पर और अधिक उलझाते रहे। स्मरण रहे लार्ड माउंटबेटन इस अवधि में भारत के गवर्नर जनरल थे। समझौता-वार्ताओं के मार्ग को प्रशस्त बनाए रखने में हैदराबाद ने उनकी उपस्थिति का कुछ कम लाभ नहीं उठाया। अनेक बार वार्ता भंग होने की स्थिति में कोई दृढ़ कदम उठाने का निर्णय करते, किन्तु माउंटबेटन भारत सरकार को जहाँ और जब तक सम्भव हो सका, कठोर कदम उठाने से कुशलतापूर्वक रोकते रहे और समझौता-वार्ता को प्रोत्साहित करते रहे। हैदराबाद से समझौता-वार्ता भंग होने के तीन दिन पश्चात २१ जून सन् १९४८ को माउंटबेटन ने दिल्ली से प्रस्थान किया ओर राजाजी उनके स्थान पर गर्वनर जनरल बने।

इस अवधि में हैदराबाद तथा उसके समीपवर्ती स्थानों की हिन्दू जनता पर रजाकारों के अत्याचार अपनी परिसीमा पर पहुँच गये थे। उनकी संख्या अधिकृत सूचना के अनुसार दो लाख के लगभग थी। शस्त्रों की भी उनके पास कमी नहीं थी। हैदराबाद की सैनिक शक्ति भी ४२,००० से अधिक थी। विदेशों से शस्त्रास्त्र-प्राप्ति के लिए निजाम के सहयोगी प्रयत्न कर रहे थे। कराची के सहयोग से निजाम का प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रसंघ तक अपना मामला पहुँचा चुका था। कासिम रिजवी तो हैदराबाद की स्वतन्त्रता तक ही अपनी घोषणाओं को सीमित नहीं कर पाया, बल्कि उसने दिल्ली के लाल किले पर आसफजाही झंडा फहराने की भी डींग भरी थी। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी धमकी दी

थी कि यदि भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो उन्हें केवल डेढ़ करोड़ हिन्दुओं की हड्डियों की राख मिलेगी। भारत द्वारा सैनिक कार्रवाई की जाने पर संसार के मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत के विरुद्ध हो जाने का भी प्रचार किया था। भारत भर में और विशेष रूप से दक्षिण भारत में हिन्दू-मुस्लिम दंगों की भी आशंका प्रकट की गयी थी।

किन्तु आगामी घटनाचक्र ने इन सभी बातों को निर्मूल सिद्ध कर दिया, यह कहने की आवश्यकता नहीं। सरदार पटेल ने पुलिस कार्यवाही का विचार किया। मंत्रि-मण्डल ने प्रायः बहुमत से उनका समर्थन किया। नेहरू जी को भी बहुमत का निर्णय स्वीकार करना पड़ा।

अन्ततोगत्वा १३ सितम्बर को प्रातः सूर्योदय से पूर्व भारतीय सेनाओं ने दो दिशाओं से हैदराबाद की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ किया। जनरल महाराजा राजेन्द्र सिंह जी उस समय दक्षिण कमान के प्रधान सेनापति थे और जनरल चौधरी हैदराबाद अभियान के प्रमुख। इन दोनों सेनानायकों की योजना तथा नेतृत्व में १०८ घण्टों में ही अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया और हैदराबाद की सेनाओं को समर्पण करना पड़ा। कासिम रिजवी पकड़ लिया गया। राज्य-मन्त्रिमण्डल को बन्दी बनाया गया। निजाम ने भारत सरकार की इच्छानुसार राज्य के विलीनीकरण की योजना को स्वीकार किया। सेना ने राज्य में शान्ति और व्यवस्था प्रस्थापित की। प्रारम्भ में सैनिक शासन रहा और बाद को नागरिक प्रशासन का श्रीगणेश हुआ। इस प्रकार हैदराबाद का अध्याय समाप्त हुआ। सरदार पटेल के साथ ही इस कार्य में उनके विश्वास पात्र श्री वी०पी० मेनन, जो उस समय राज्य मंत्रालय के सचिव थे, की सेवाओं की भी सराहना किए बिना हम नहीं रह सकते।

कश्मीर

कश्मीर समस्या हमारे नेतृत्व की अदूरदर्शिता तथा अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण और अधिक जटिल बन गयी। यहाँ नेतृत्व वाली बात को थोड़ा स्पष्ट कर देना शायद अनुचित नहीं होगा। ३१ दिसम्बर, सन् १९४८ को जिस समय भारत सरकार ने कश्मीर-समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ में औपचारिक रूप से भेज दिया, उसी समय से जटिलता बढ़ गयी। समस्या को सुलझाने का दायित्व भी वैधानिक तथा वास्तविक दृष्टि से सरदार पटेल के राज्य मन्त्रालय से हटकर पंडित नेहरू के विदेश मन्त्रालय के हाथ में तभी से पहुँच गया। उसी के परिणाम स्वरूप १ जनवरी सन् १९४९ को युद्ध-विराम का आदेश देकर भारत की बढ़ती हुई वीर सेनाओं को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को कराची तक खदेड़ने से रोककर भीषण भूल की गयी, जिसका कटु-फल भारत को पता नहीं कब तक भोगना पड़ेगा।

तीन जून, सन् १९४७ की ब्रिटिश सरकार की घोषणा के बाद कश्मीर भी हैदराबाद की भाँति शीघ्र भारत या पाकिस्तान में से किसी एक संघ में सम्मिलित होने का निर्णय न कर पाया। भारत सरकार से जहाँ तत्कालीन महाराज हरीसिंह तथा उनके सहयोगियों की विलीनीकरण विषयक वार्तायें प्रारम्भ हुईं, वहाँ पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने 'यथाशक्ति समझौता' कर लिया। इधर भारत संघ में सम्मिलित होने का कश्मीर सरकार निर्णय नहीं कर पायी, उधर पाकिस्तान ने यथास्थिति समझौते को तिलाञ्जलि दे कर २२ अक्तूबर, सन् १९४७ को कबायलियों की आड़ में कश्मीर पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व जनरल ताहिर के छद्म नाम से पाक सेना के जनरल अकबर खाँ कर रहे थे। आक्रमण की योजना में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों का हाथ होना आश्चर्य की बात नहीं। पश्चिमी सीमा-प्रदेश के एबटाबाद क्षेत्र से आक्रमणकारी बढ़ते हुए सुगमता से कश्मीर के मुजफ्फराबाद क्षेत्र तक पहुँच गए। वहाँ उस समय कश्मीर राज्य की जो छोटी-सी सैनिक टुकड़ी स्थित थी, उसमें मुसलमान तथा डोगरा सम्मिलित थे। उसके संचालक थे, ले० कर्नल नारायणसिंह। इस सेना के मुस्लिम अधिकारी तथा सैनिक आक्रमण-कारियों के साथ मिल गए और कर्नल नारायण सिंह जी की हत्या कर दी गयी। एक उन्हीं कर्नल महोदय से जब मुस्लिम सैनिकों की वफादारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया था, 'उन पर डोगराओं से अधिक विश्वास है।'

इसके बाद आक्रमणकारी बारामूला की ओर बढ़े, जहाँ

से श्रीनगर जाने वाला मार्ग था। इसके बाद उनका लक्ष्य उरी था। राज्य सेना के अधिकांश मुस्लिम अपना कार्य छोड़ बैठे या आक्रमणकारियों में सम्मिलित हो गये। यह समाचार मिलते ही राज्य सेना के प्रधान सेनापति ब्रिगेडियर राजेन्द्रसिंह ने केवल १५० सैनिकों को एकत्रित करके उरी की ओर बढ़कर आक्रमणकारियों को दो दिन तक आगे बढ़ने से रोक रखा। उरी का पुल उड़ा दिया। आक्रमणकारी तब तक आगे नहीं बढ़ सके, जब तक इन १५० लोगों में से एक भी जीवित रहा। अन्ततः ब्रिगेडियर राजेन्द्रसिंह सहित इन सभी वीर सैनिकों का कश्मीर-रक्षा की वेदी पर महान् बलिदान हो गया। आक्रमणकारी ५००० से भी अधिक संख्या में थे। २४ अक्तूबर को सतत् बढ़ते हुए आक्रमण-कारियों ने माहुरा के बिजली घर पर अधिकार कर लिया, जहाँ से श्रीनगर को बिजली मिलती थी। परिणामस्वरूप श्रीनगर में अन्धकार छा गया। २६ अक्तूबर को श्रीनगर की मस्जिद में नमाज पढ़ने की आक्रमणकारी घोषणा कर चुके थे।

२४ अक्तूबर को हताश होकर महाराज हरीसिंह ने भारत सरकार से सहायता की याचना की। उसी दिन भारत के प्रधान सेनापति को सूचना मिली कि मुजफ्फराबाद पर आक्रमणकारी अधिकार कर चुके हैं। २५ अक्तूबर को कश्मीर में भारत से सैनिक सहायता भेजने की योजना बनी। अन्य सब वैधानिक कार्यवाहियाँ पूर्ण होते ही २७ अक्तूबर को भारतीय सेनाएँ हवाई जहाजों से कश्मीर के लिए प्रस्थान करने लगीं। यह सब कार्य इतनी दक्षता तथा शीघ्रता से सम्पन्न हुआ कि द्वितीय महायुद्ध में दक्षिण-पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की सेना के प्रधान सेनापति रहने वाले लार्ड माउंटबेटन को कहना पड़ा कि 'मैंने अपने सम्पूर्ण युद्ध सम्बन्धी अनुभव में कभी इतनी दक्षता का दूसरा उदाहरण नहीं देखा।' उन्होंने भारतीय सेना तथा विमान-चालकों की इसके लिए भूरि-भूरि प्रशसा की।

कश्मीर युद्ध में न जाने कितने भारतीय वीरों ने अनुपम त्याग, साहस एवं शौर्य के उदाहरण प्रस्तुत किये। सिख बटालियन के ले० कर्नल दीवान रणजीतराय का नाम भी वीरता तथा बलिदान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा, जिन्होंने मुट्ठीभर सैनिकों के सहारे बारामूला से श्रीनगर की ओर आक्रमणकारियों को बढ़ने से सफलतापूर्वक रोकने में अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिये। इस प्रकरण में मेजर जनरल कुलवन्तसिंह, मेजर जनरल थिमैया तथा स्वर्गीय मेजर जनरल आत्मासिंह के नाम भी भुलाये नहीं जा सकते। कश्मीर-युद्ध के प्रारम्भिक छः मास तक मेजर जनरल कुलवन्तसिंह पर कार्यभार था। उसके बाद मेजर जनरल थिमैया को श्रीनगर डिवीजन का प्रधान सेनापति बनाया गया और मेजर जनरल आत्मासिंह को जम्मू डिवीजन का। इन दोनों सेनानायकों ने बड़ी दक्षता से आक्रमणकारियों को पीछे हटाया।

भारतीय नभ-सेना के वीर-चालकों का भी कश्मीर-युद्ध में बड़ा गौरवमय योगदान रहा। स्वर्गीय एयर वाइस मार्शल सुव्रत मुखर्जी के सुयोग्य नेतृत्व में यह कार्य सम्पन्न हुआ था। अन्य वीर-चालकों के साथ एयर कामोडोर मेहरसिंह की दक्षता तथा वीरता चिरस्मरणीय रहेगी। समुद्रतल से २३,००० फुट की ऊँचाई पर अज्ञात पहाड़ियों वाले मार्ग से मेजर जनरल थिमैया को लेह के हवाई अड्डे पर सकुशल पहुँचाने वाले वीर-चालक मेहरसिंह ही थे।

'इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने तो कश्मीर-युद्ध जीत लिया था, किन्तु राजनीतिज्ञों ने इसे वास्तविक विजय नहीं रहने दिया, क्योंकि युद्धविराम के द्वारा कश्मीर के एक बड़े भू-भाग को पाकिस्तान के कब्जे में छोड़ दिया।' (ज्ञान-भारती का देश-रक्षा अंक)।

प्रायः सभी राजनीतिक अध्येता यह मानते हैं कि कश्मीर की समस्या नेहरू जी की अस्पष्ट एवं अदूरदर्शी नीति का परिणाम थी। यदि यह समस्या पूरी तरह से गृह-मन्त्रालय के अधीन होती, तो सरदार पटेल ने जिस प्रकार हैदराबाद, जूनागढ़ तथा अन्य रियासतों की समस्या हल कर दी थी, वैसे ही कश्मीर की समस्या भी हल कर दी होती और आज कश्मीर की समस्या ही न होती। सरदार पटेल को इस बात का बहुत गम रहता था कि इस समस्या का सम्बन्ध विदेश मन्त्रालय से जोड़कर इसको पेचीदा बना दिया गया। उन्होंने दो-एकबार विनोद में अपने पत्रकार मित्रों से कहा भी था कि यदि कश्मीर का मामला जवाहर लाल की ससुराल का मामला न होता, तो इसे चौबीस घण्टे में ठीक कर देता।

जूनागढ़ और गोआ के संस्मरण

जूनागढ़ और गोआ से सम्बन्धित सरदार पटेल के कुछ उल्लेखनीय संस्मरण हैं, जो उनकी दृढ़ता के परिचायक हैं और आज भी सर्वथा प्रासंगिक हैं—

"जब जूनागढ़ के भारत में विलय सम्बन्धी दाँव-पेच चल रहे थे, तो एक अवसर पर लार्ड माउंटबेटन ने वही सुझाव दिया, जिसके कारण आज तक कश्मीर का मामला उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राष्ट्रसंघ में भेज दिया जाये, मगर सरदार इस मामले में दृढ़ थे। सरदार ने कहा, 'स्वाधीनता के मसले सात समुद्र पार की मुकदमेबाजी से तय नहीं होते। हम पहले भारत की जनता को आक्रमणकारियों से बचायेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि राष्ट्रसंघ क्या होता है।" लार्ड माउंटबेटन ने यह भी कहा कि खतरा है कि इससे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में तुरन्त लड़ाई छिड़ जाये। सुनते हैं सरदार ने कहा था, "जो हश्र जूनागढ़ का हुआ, वही जूनागढ़ को भड़काने वालों का भी हम कर सकत हैं।" १३ नवम्बर, सन् १९४७ की सुबह। जूनागढ़ का वही बहाउद्दीन कालेज का अहाता, चारों ओर उमड़ा हुआ जनसमूह लौहपुरुष के दर्शन को आया था। सरदार ने कहा कि "कुछ लोग जनमत-संग्रह की बात करते हैं। आप सब मेरे सामने हैं, मै आपसे पूछता हूँ, आप हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ? सारे जनसमूह के हाथ हिन्दुस्तान के पक्ष में उठ गये थे। सरदार ने घोषित किया कि "दुनिया की कोई भी ताकत इसे अच्छी तरह समझ ले कि यह हमारा अन्तिम निर्णय है। अपने देश के अन्दर हम किसी बाहर वाले के चौधरापे में जनमत-संग्रह कराने नहीं जा रहे हैं। हमारी जनता जो हमें नहीं बता सकती, किसी विदेशी को क्यों बताएगी।"

ताया जिनकिन के अनुसार, सन् १९४८ की बात है, सरदार पटेल बम्बई बन्दरगाह से एक भारतीय लड़ाकू जहाज पर जा रहे थे। जब जहाज गोआ के पास पहुँचा, तो सरदार ने जहाज के सैनिक कप्तान से गोआ के निकट तक ले चलने को कहा, ताकि वे उसका दृश्य देख सकें। इस पर कप्तान ने सरदार को समुद्री सीमा के नियम बताये। सरदार अपनी गम्भीर-मुद्रा में मुस्कराये और कहा, "कोई बात नहीं, हमें गोआ का दृश्य देखना चाहिए।" कप्तान ने सरदार की बात मान ली और पुर्तगाल की समुद्री सीमा के एक मील अन्दर जहाज ले गया।

तब सरदार ने कप्तान से पूछा, "जहाज पर कितने सैनिक हैं?" कप्तान ने उत्तर दिया—"आठ सौ सैनिक।"

"गोआ को जीतने के लिए इतने सैनिक काफी होंगे?"

"जी हाँ, काफी होंगे।"

"तो हम लोग गोआ पर कब्जा करते चलें।" सरदार बोले।"

कप्तान ने सरदार की तरफ देखा और कहा, "आप कृपया अपना आदेश दोहरायें।" सरदार ने आदेश दोहरा दिया। इस पर कप्तान फिर बोला, "आप यह आदेश लिखकर दे दीजिये, ताकि रेकार्ड रहे।"

सरदार बोले—"तो हम लोग वापस ही चलें। तुम जानते हो न उस व्यक्ति जवाहरलाल को, उसे आपत्ति होगी।"

तिब्बत और चीन

यद्यपि तिब्बत और चीन की समस्यायें सरदार पटेल के अधिकार—सीमा क्षेत्र में नहीं थीं, किन्तु उपप्रधान मन्त्री पद पर रहने के कारण वे राष्ट्र के समग्र हितों की चौकसी रखते थे। चीन में भारतीय राजदूत डा० पण्णिकर के भारत-हित-विरोधी एवं चीन-समर्थक विचार और कार्य, जिनका समर्थन शान्ति के नाम पर प्रधानमन्त्री नेहरू द्वारा भी था, वे कतई नापसन्द करते थे। वे इस बात से सख्त नाराज थे कि विदेश मन्त्रालय द्वारा चीन भेजे गये एक पत्र में तिब्बत पर चीन की स्वायत्तता (सूजरेंटी) के स्थान पर सार्वभौमिक सत्ता (सावरेंटी) लिख दिया गया था। उन्होंने भारत की अदूरदर्शी विदेश-नीति के सम्भावित खतरों के सम्बन्ध में ७ नवम्बर, सन् १९५० को नेहरू जी को एक पत्र भी लिखा था, जो अनेक वर्षों बाद बम्बई के भुवन्स जनरल में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र के बारे में श्री दुर्गा-दास ने अपनी पुस्तक 'फ्राम कर्जन टु नेहरू' में सरदार पटेल के विचार उद्धृत किये हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। हम इस सम्बन्ध में अपनी आँखें बन्द नहीं रख सकते, क्योंकि साम्राज्यवाद दूसरे रूप में प्रकट हो रहा है।" इसीलिए उन्हें भारत के भविष्य के बारे में बड़ी आशंका हो चली थी।

दिसम्बर, सन् १९५० में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद भारत का गृह मन्त्रालय मानों सूना हो गया। राष्ट्र के

प्रशासन का एक दृढ़ स्तम्भ ढह गया। इसके बाद भारत की जब भी कोई आन्तरिक समस्या अपने भयावह रूप में उपस्थित होती तो लोग यही कहते कि काश, सरदार पटेल जीवित होते और जब कभी किसी समस्या के मूल में नेहरू जी की कोई यथार्थवादी नीति दिखाई पड़ती, तो लोग यह कहते कि काश, भारत के प्रधानमन्त्री सरदार पटेल होते। निश्चय ही यदि गाँधी जी ने अपना निजी मन्तव्य प्रकट कर नेहरू जी को प्रधानमन्त्री न बनवाया होता, तो काँग्रेस संगठन पर अपने प्रभाव और नियन्त्रण के कारण सरदार पटेल ही देश के प्रथम प्रधानमन्त्री होते और नेहरू जी के प्रधान मन्त्री बनने के बाद भी यदि सरदार पटेल गाँधी जी के सच्चे अनुयायी होते हुये आत्मानुशासन नहीं करते, तो वे कभी भी नेहरू को प्रधानमन्त्री पद-त्याग करने के लिए मजबूर कर सकते थे।

चरणसिंह : टूटा तार जुड़ा

सरदार पटेल के बाद यद्यपि भारत के अनेक गृह-मन्त्रियों ने गृहमन्त्री पद को सुशोभित किया, जिनमें से अधिकांश को तो जनता जानती भी नहीं है और उनमें से कुछ तो अपनी अक्षमता के लिए प्रसिद्ध हो गये, किन्तु सन् १९७७ में लगभग तीन दशक के काँग्रेस-शासन के पतन और जनता पार्टी की विजय के बाद भारत के गृहमन्त्री के रूप में भारतीय राजनीति में जिस नक्षत्र का उदय हुआ, उसने अपने कदमों की दृढ़ता, नीतियों की स्पष्टता, कार्य की दूरदर्शिता और देश की मिट्टी के विशुद्ध भारतीय चिन्तन से अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है और भारतवासियों को सहज ही उनके कुछ कार्यों से सरदार पटेल का स्मरण हो आया और ऐसा लगा कि जैसे गृह-मन्त्रालय में सरदार पटेल का टूटा हुआ तार फिर से जुड़ गया है। इस बीच चौधरी साहब की दो बातों ने देश में व्यापक चर्चा को जन्म दिया—वैचारिक-स्तर पर देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में उनके चिन्तन ने और दूसरे इमरजेन्सी की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए विभिन्न कमीशनों की नियुक्ति ने। उन्होंने इतने कमीशन नियुक्त किये हैं कि लोग कभी-कभी उन्हें विनोद में 'कमीशन सिंह' भी कह देते हैं। भविष्य इनकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध करेगा। किन्तु उनके आर्थिक-चिन्तन ने देश के बौद्धिक-जगत में व्यापक चर्चा चलायी है और प्रायः लोगों की यही राय है कि ग्राम प्रधान इस देश में चौधरी साहब के जो अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विचार हैं, वे ही देश का आर्थिक कायाकल्प कर सकते हैं। चौधरी साहब अपने चिन्तन में गाँधी जी के सबसे अधिक निकट हैं, क्योंकि गाँधी जी की तरह उन्होंने भी अपने देश में विशेष रूप से ग्रामों के आश्रम को आवश्यक समझा है और ग्रामीणों की समस्या की सही नब्ज पकड़ी है। किन्तु गृह मन्त्री के रूप में उनके जिस कार्य ने उनका दृढ़ व्यक्तित्व प्रकट किया, भले ही उस पर विवाद चला हो, वह था उन नौ राज्यों में चुनाव कराने का निर्णय करना, जहाँ मार्च, सन् १९७७ के संसदीय चुनावों में जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती थी। यद्यपि उनके कदम का यह कहकर विरोध किया गया कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, किन्तु चौधरी साहब ने उसको यह कहकर महत्व-हीन बताया कि संविधान में तो अनेक ऐसी परिस्थितियों की कल्पना नहीं की गयी है, जो वास्तव में घटित होती हैं। इस निर्णय ने जो मन्त्रिमण्डल का भी निर्णय था, भारतीय राजनीति को नया मोड़ दिया।

चौधरी साहब जिस दृढ़ता से विभिन्न कदम उठाते हैं और जिस स्पष्टता से अपने विचार व्यक्त करते हैं, उससे वे कभी-कभी विवाद के विषय भी बनते हैं, परन्तु यह स्वाभाविक है। सभी निर्णय सर्वमान्य नहीं हो सकते, विशेष रूप से जिनके क्रान्तिकारी और दूरगामी प्रभाव होते हैं, किन्तु उनका व्यक्तित्व ऐसा निःस्वार्थ प्रेरित और निष्कलंक है कि उनकी प्रामाणिकता पर कोई उँगली नहीं उठा पाता। उनके सामने राष्ट्र का हित सर्वोपरि रहता है; उनकी नीति और कार्य की यही एक कसौटी है।

भारत एक बहुभाषी, बहुजातीय और बहुरंगी देश है। इसीलिए यहाँ के राष्ट्रीय चिन्तन में समैक्य के दर्शन यदा-कदा ही होते हैं; प्रायः चिन्तन में विविधता ही दिखायी पड़ती है। ऐसे देश में सुदृढ़, सुस्पष्ट और साहसी नेता की जरूरत है, जो अपने क्षेत्रीय हितों पर राष्ट्रहित को स्थापित करे और अपनी शक्ति और पुरुषार्थ से सारे देश में एकता और अनुशासन स्थापित कर सके। चरणसिंह जी के नेतृत्व से देश को बहुत आशायें हैं।

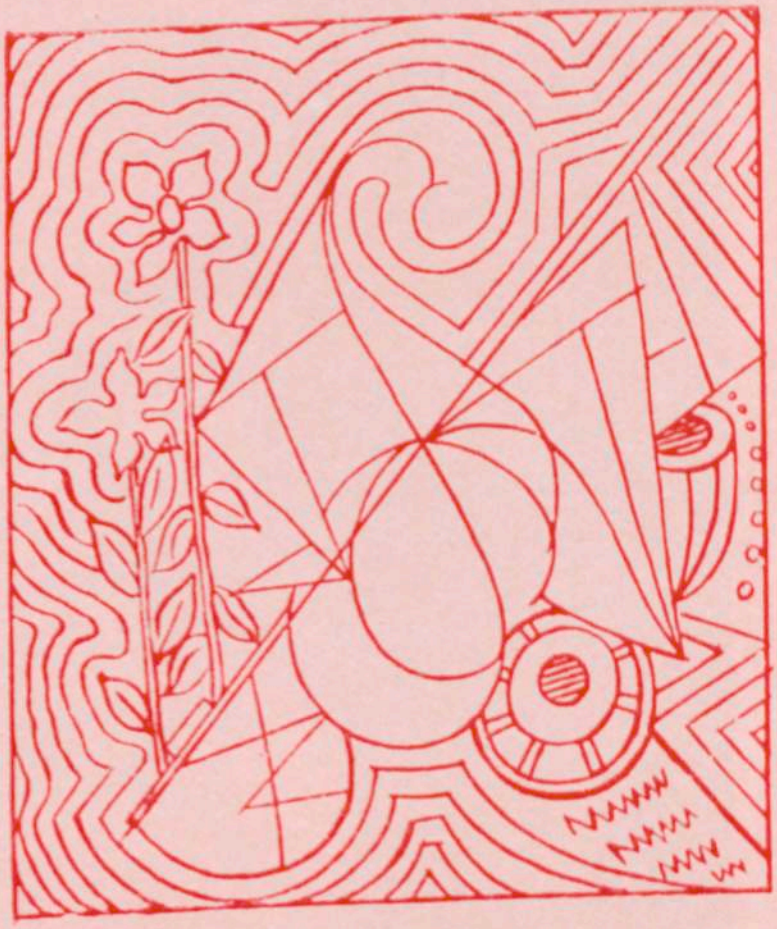

विवेक

एक ऐतिहासिक सिंहनाद

चौधरी चरण सिंह, नेता विरोधी दल [उत्तर प्रदेश, द्वारा विधान सभा में दिनांक २३ मार्च, १९७६ को दिया गया वह अभूतपूर्व भाषण, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता।

●

अध्यक्ष महोदय,

आज जो वाद-विवाद होने जा रहा है वह इस समय बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह दूसरी बात है कि इसमें भाग लेने वाले लोग इस प्रश्न का सामञ्जस्य कर सकें या न कर सकें, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि हिन्दुस्तान के भविष्य के सिलसिले में इससे ज्यादा संकट का समय गालिबन कभी नहीं आया और न आयेगा ही। पेश्तर इसके कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे कहना शुरू करूँ, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी से और दूसरे सभी साथियों से जो सत्तासीन हैं, एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी यह कोशिश होगी कि मैं उनसे दिल से बात करूँ; लेकिन मसला ऐसा है कि हो सकता है मुझे कहीं-कहीं आवेश आ जाये और कठोर शब्द मेरी जबान से निकल जाये, जिनको यद्यपि मैं कोशिश करूँगा न कहूँ, उनको कहने के लिए वह मुझको माफ करने की कृपा करें।

आज देश की क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि लाखों आदमी जेल के अन्दर हैं। सन् १९४२ का आन्दोलन गाँधी जी के जमाने के आन्दोलनो में गालिबन सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है; लेकिन उसमें कुल ६० हजार आदमी जेल गये थे। उस समय के होम मिनिस्टर के वक्तव्य के अनुसार, जो उन्होंने केन्द्रीय असेम्बली में दिया था, केवल इतने आदमी जेलों में बन्द कर दिये गये थे। आज श्री ओम मेहता के अनुसार एक लाख तीस हजार आदमी इस बार गिरफ्तार किये गये हैं। आप उसको एक लाख बीस हजार मान लीजिये या घटाकर एक लाख ही कर दीजिए, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा (अंग्रेजी काल की गुलामी के जमाने से कहीं ज्यादा) आदमी इस बार जेलों में गये हैं। आप बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से निकाल लीजिये तब शायद आपको तसल्ली हो जाय। यह देश की बदकिस्मती है कि ऐसा हिसाब लगाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और लाखों आदमी या एक लाख आदमी आजाद देश में जेलों में पड़े हुए हैं।

पहले प्रधानमन्त्री जी कम्युनिस्टों की भाषा में जनतंत्र को सोशल डेमोक्रेसी (सामाजिक लोकतंत्र) कहा करतीं थीं कि संविधान में बड़े भारी संशोधन की जरूरत है, लेकिन अब केवल डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) कह रहीं हैं और कह रही हैं कि हम डेमोक्रेसी के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और संविधान में ज्यादा संशोधन की जरूरत नहीं है। किन कारणों से उनके कथनों में तबदीली आ गई है, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें शक नहीं है कि आज डेमोक्रेसी का दम भरा जा रहा है। दूसरी ओर एक लाख से ज्यादा आदमी जेल में हैं। वे किस तरह जेल में डाले गये हैं। महीनों उनके परिवार को यह नहीं मालूम हो पाया कि वे कहाँ बन्द किये गये हैं। २६ जून को सबेरे मुझे और मेरे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के बड़े आदमियों की बात छोड़िये, क्योंकि आज तो शायद प्रधानमन्त्री जी बड़ी हैं; चूँकि वह बहुत

बड़े पद पर हैं, लेकिन ऐसे आदमी जिन पर देश गर्व कर सकता है, वे गिरफ्तार हुए और उनके घर वालों को यह नहीं बताया गया कि कहाँ वह कैद किये गये हैं। तीन चार मर्तबे मैं अंग्रेजों के जमाने में जेल गया हूँ और उस जमाने की सारी बातें मुझे याद हैं। कभी अंग्रेजों के जमाने में ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं कि दो महीनों तक गिरफ्तारशुदा लोगो के अजीजों, उनके बच्चों, उनके घर वालों से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया, न उनको यह ही बतलाया गया कि क्या जुर्म उनसे हुआ है।

माननीय जयप्रकाश नारायण जी का, माननीय मोरार जी देसाई का और लोकसभा की डिबेट में एक बार माननीय राजनारायण जी का भी जिक्र आया कि इन्होंने अमुक पाप किया है। मैं रोज पढ़ता रहा कि मेरे पाप का भी जिक्र शायद इसमें आवेगा। नहीं, कम से कम मैंने नहीं पढ़ा। दोस्तों ने पढ़ा होगा, मुझे खुशी होगी जानकर। इस बार जरूर मेरा पाप था कि इन्दिरा जी से हम लोग इस्तीफा मांग रहे थे। क्योंकि हाईकोर्ट से आप हार गयीं थीं, इसलिए इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर को शोभा यह देता है कि वह इस्तीफा दें। जून माह में दिए हुए मेरे बयान दिल्ली के कुछ अखबारों मे प्रकाशित हुए। मे जानने का बहुत प्रयास करता हूँ, तो मैं इन वक्तव्यो का ही अपना जुर्म पाता हूं। खैर मेरा यह जुर्म हो सकता है। लेकिन सैकड़ों, हजारों ऐसे लोग हैं जिन बेचारो ने कोई बयान भी नहीं दिया, फिर भी उन्हे जेल में डाल दिया गया। नजरबन्दी के क्या कारण हैं, गिरफ्तारी के क्या कारण हैं, यह उनको नहीं बताया गया। हाइकोर्ट में कोई चला जाय और जानने की कोशिश करे कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ क्या अभियोग है तो हाइकोर्ट से भी नहीं बताया गया। यही नहीं मेण्टीनन्स आफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट में, जिसको मीसा भी कहते हैं, सशोधन कर दिया गया। मुमकिन है सविधान में किया हो, लेकिन मीसा कानून में तो सशोधन जरूर है कि हाईकोर्ट अगर स्वय चाहे तब भी उसको यह अख्तियार नहीं कि किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने का कारण गवनमेंट की नजरों में क्या है, मालुम कर सके। इससे ज्यादा तानाशाही, स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता इतिहास में कहीं मिलेगी ? और फिर मुझको अफसोस होता है कि ऊपर जो दोस्त बैठे हैं वे लोकतंत्र का दम भरते हैं और आँख मींच कर हाथ उठाते रहते हैं; खैर इस सिलसिले में और अधिक कहना व्यर्थ है। इस बात को यहीं छोड़े देता हूँ।

दूसरी बात जो हर आदमी को खटकेगी, यह है कि सारे मौलिक अधिकार, जो कि एक नागरिक के होते हैं, सब निलम्बित हैं। मान लो मैं आज जाना चाहूँ पंजाब, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि आप पंजाब नहीं जायेंगे। अब पंजाब जाने का अधिकार या बंगाल जाने का अधिकार या किसी तरह का व्यापार करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो कि एक व्यक्ति की स्वतन्त्रतायें होती हैं, वह सभी ले लीं गयी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पंजाब क्यों नहीं जाने दे रहे हैं ? परन्तु कोई बताने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, पंजाब जाने की बात छोड़िए, अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति शूट कर दे (गोली मार दे) या बदला निकालने के लिए सब इंस्पेक्टर शूट कर दे और गोली खाने वाला व्यक्ति बच जाये, तो उसको यह हक हासिल नहीं है कि वह कचहरी में जाकर मालूम कर सके कि उस पर गोली क्यों चलायी गयी ? और मर जाय तो उसके परिवार वालों को यह हक हासिल नहीं है कि वह जान सकें कि ऐसा क्यों हुआ ? आपके एटार्नी जनरल ने हैवियस कारपस की बहस के समय सुप्रीमकोर्ट में यह स्वयं तसलीम किया है। में जानना चाहता हूँ कि इतिहास में कोई और मिसाल है ?

अध्यक्ष महोदय! पुलिस को कितने अधिकार हैं—जो चाहें कर दे, ऐस हक हैं। सारे अधिकार उनको दे दिए गये हैं। यदि आपको नागरिकता के सारे अधिकार लेने ही थे और व्यक्तिगत आजादी को जब्त करना ही था, तो पावर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आप बड़े से बड़ा सगीन मामला होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से कह लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई (राहत) नहीं है। किसी भी सब इंस्पेक्टर को या पुलिस वाले को सजा नहीं मिलेगी। सजा कैसे मिलेगी ? आपकी गवर्नमेंट उन्हीं के बल पर चल रही है।

मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथी इत्तफाक करेंगे कि नहीं लेकिन मैं तिहाड़ जेल में जब दिल्ली की पुलिस के अत्याचार

की कहानी सुनता था तो मैं बार-बार उत्तर प्रदेश की पुलिस की तारीफ करता था। मैंने वाराणसी जेल में अपनी पार्टी के एक सज्जन को उनके खत के जवाब में लिखा था कि दिल्ली की पुलिस बिल्कुल बेलगाम है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में ऐसा हाल नहीं है। जैसा मैंने उनको सन् १९६७ में और सन् १९७० में देखा था, मुझे कोई शिकायत यहाँ की पुलिस से नहीं थी। देश की बरबादी के लिए नौकरशाही बहत कुछ जिम्मेदार है, लेकिन इतना नहीं जितना कि राजनीतिक नेतागण। क्या हुआ इस पुलिस को? अब मैं बाहर आया हूँ। मुझे पुलिस की बर्बरता के कुछ किस्से सुनाए गये। अन्त में जिम्मेदार नारायणदत्त तिवारी जी आप और आपसे पहले हमारे एक दो बड़े अच्छे-अच्छे व्याख्यान देने वाले थे, जिम्मेदार हैं। दूसरे महकमों में मिनिस्टर के काम करने के ढंग का इतनी जल्दी असर नहीं पड़ता है, जितनी जल्दी होममिनिस्टर के रवैये का असर पुलिस वालों पर पड़ता है।

जेल में राजनीतिक बन्दियों के साथ जो बर्ताव हुआ है वह अच्छा नहीं था, बमुकाबिल, दिल्ली हरियाणा और पंजाब के जैसी इत्तिला मेरे कान तक तिहाड़ जेल में आती थी। मैं समझता हूँ कि वह सब कृपा है बहुगुणा जी की। मुझे माफ करेंगे वह। आज उन्हें हाउस में होना चाहिये था। मैं नहीं कह सकता कि वे इसका प्रतिवाद कर सकेंगे या नहीं। सुना है कि बरेली जिले के जिला परिषद की एक मीटिंग में गये हैं। वहाँ उन्होंने इन राजनीतिक बन्दियों के बारे में कहा, जो उनके मुखालिफ हैं कि जेल में जो ऐसे लोग पड़े हैं (कम्बख्त और क्या-क्या कहा) उनसे अगर मेरा बस चलता तो मैं पत्थर तुड़वाता और गंगा और यमुना की रेत छनवाता। हम उनके या आपके दुश्मन हैं, क्योंकि हम आपसे मतभेद रखते हैं। इसका अन्त कहाँ जाकर होगा ? हमारी क्या नीतियाँ होंगी इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं। मतभेद होना कोई पाप नहीं है। आपके और हमारे दृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है, लेकिन यह क्या कि जो आपसे मतभेद रखते हैं, वह देशभक्त नहीं हो सकते ? वे देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं। मैं यह कह रहा था कि आपके दृष्टिकोण का असर पुलिस पर और सारे प्रशासन पर पड़ेगा। बरेली मे, आगरे में और अलीगढ़ में जो अत्याचार हुए हैं, वह मैं थोड़े से आपको सुनाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बरेली की बात सुनाता हूँ। वहाँ पर एक रमेश आनन्द नाम का छात्र था, जो एम० एस-सी० प्रथम वर्ष (मैथमेटिक्स) का विद्यार्थी था, जिसकी उम्र २३ वर्ष थी। उसे २८ अक्तूबर सन् १९७५ को घर से सर्किल इंसपेक्टर कोतवाली ने बुलाया और सायं ६ बजे से रात्रि २ बजे तक उसको पीटा। दोपहर दो बजे बन्दी बनाया गया। ४ बजे एक दूसरे लड़के वीरेन्द्र अटल को घर से लाया गया और शाम ४ बजे से ही दोनों से एक साथ पूछताछ की गई। साइक्लोस्टाइल मशीनों के बारे में गालियों की बौछार करते हुए उनसे पूछा गया और बताने से इन्कार करने पर उनको पीटना शुरू कर दिया गया। बाद में जिलाधीश श्री माताप्रसाद जी भी आ गये। उनको देखकर पीटने वालों की हिम्मत और बढ़ गई। बजाय कम होने के और क्षमा याचना का रवैया अख्तियार करने के डी० एम० की आँख बतला रही थी कि ठीक कर रहे हो और रस्सी से हाथ बाँधकर पीटना शुरू कर दिया गया। पीटते-पीटते ४ बेंत तोड़ डाले गये, परन्तु दोनों में से किसी ने भी अपना मुँह नहीं खोला। यह देखकर लहीम-सहीम हाकिम राय इन्स्पेक्टर का क्रोध और भड़क गया। डी० एम० को खुश करने का उसे अच्छा मौका नजर आया। अतएव बिजली के प्लास से रमेश आनन्द के हाथ का अंगूठा बड़ी क्रूरता से दबाया। खून की धार बह चली। इसके बाद उसी से अंगुली दबायी और बहुत ही बेजा-बेजा गालियाँ दीं। इसके बाद उसने वीरेन्द्र अटल के हाथ की एक-एक कर चार अंगुलियाँ लहू-लुहान कर दीं और कहा सब नाखून खींच लूंगा, नहीं तो बताओ कहाँ रहता है प्रचारक, कहाँ होता है साइक्लोस्टाइल आदि। जब नाखूनों को प्लास से दबाने पर वे कुछ नहीं कर पाये तो जमीन पर '(मौजूदा गवर्नमेंट से मतभेद करने की यह हिम्मत)' कहकर पटक दिया गया और पैर ऊपर करके बेंतों से इतनी पिटाई की कि तीन बेंत और टूट गये। दोपहर से लेकर अगली दोपहर तक चाय भी नहीं पिलायी गयी, भोजन तो दूर रहा। २९ अक्तूबर को दोपहर पैदल चलाकर और हथकड़ी डालकर जेल भेज दिया गया। जेल में सब कैदियों की माँग पर २९-३० अक्तूबर सन् १९७५ की रात में दोनों की डाक्टरी जाँच हुई, जिसमें प्रत्येक के शरीर पर ग्यारह चोटें दर्ज

की गयीं । इतना घोर अमानुषिक अत्याचार किया गया ।

चेतराम को तो इतना मारा गया कि पिटते-पिटते उसकी मृत्यु ही हो गयी । इनकी फोटो भी मौजूद है । इनकी कहानी सुन लीजिये । व्यवसायी । उम्र ४० वर्ष । काली बाड़ी, बरेली । २३ नवम्बर सन् १९७५ को सत्याग्रह, थाना किला के इंस्पेक्टर रणविजय सिंह द्वारा पिटाई और मृत्यु । २३ नवम्बर सन् १९७५ को चेतराम ने अपने एक साथी शिवनारायण के साथ सत्याग्रह किया । थाना किला के इंस्पेक्टर रणविजयसिंह ने थाने ले जाकर लात-घूसों और और डण्डों से बहुत पिटाई की जिससे चेतराम के शरीर में बहुत मार्मिक चोटें आयीं । बाद में उन्हें जिला जेल बरेली भेज दिया गया जहाँ चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । इस प्रकार अपनी चोटों की असहनीय पीड़ा के कारण १२ दिसम्बर को उन्होने शरीर छोड़ दिया और शहीदों में अपना नाम लिखा लिया । तानाशाही के नंगे नाच का यह एक नमूना है । ज्ञानेन्द्र देव, छात्र बी० एस० सी० प्रथमवर्ष, बरेली कालेज, उम्र १९ वर्ष, उनका एक दूसरा साथी था जिसकी उम्र २२ वर्ष थी और एक अध्यापक तीसरा । इन तीनों ने बरेली कालेज में एक साथ सत्याग्रह किया । थाना बारादरा के इस्पेक्टर श्री शैलेन्द्रनाथ घोशाल ने थाने में ले जाकर उनकी बहुत पिटाई की और उनसे तरह-तरह की पूछताछ की । पर इन लोगों ने कुछ नहीं बतलाया । झक मार कर उनको जेल भेज दिया गया । विश्वबन्धु नाम के एक अन्य साथी भी थे उनको मैं अब छोड़े देता हूं ।

अब जिला पीलीभीत के उत्पीड़न की बात सुनिये । पीलीभीत में पुलिस शासन ने अपना आतंक फैला रखा था । वहाँ के पुसिल इंस्पेक्टर श्री गौड़ और श्री तिवारी ने घोषणा कर रखी थी कि पीलीभीत में सत्याग्रह नहीं होगा । अब इसको साबित करना था कि सत्यागह नहीं हुआ । परन्तु सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रहियों की बेहयाई से पिटाई की गयी ।

आगरा डिवीजन की पिटाई सम्बन्धी बहुत सी घटनायें हैं लेकिन केवल दो सुनाता हूँ । एक डाक्टर हैं अलीगढ़ के श्रीनिवास पाली, उनको अपने घर पर पकड़ा गया और पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ उन्हें एक दरख्त पर पैर ऊपर करके लटका दिया गया, पैर ऊपर सर नीचे । और इस तरह से उनको दो दिन तक पीटा गया । एक लड़के को तो लोहे की सलाखों से पीटा गया । २८ नवम्बर को श्री तेजसिंह तथा उनके ९ साथियों को जो अतरौली के रहने वाले हैं, पुलिस लाइन अलीगढ़ में ले जाकर पीटा गया और उनको पीने के लिए पानी के बजाय पेशाब दिया गया । एक बूढ़ा किसान ज्ञानसिंह था, उसे इतना पीटा गया कि दो दाँत टूट गए । और इन सब लोगों से यह भी कहा गया कि तुम अपने जूतों से खुद अपने आपको पीटो या एक दूसरे के जूते से एक दूसरे को पीटो । बालासिंह नाम के व्यक्ति को इतना पीटा गया कि २६ दिसम्बर सन् १९७५ को जेल में जाकर उसका इन्तकाल हो गया । १८-१९ दिसम्बर को सत्याग्रह हुआ था । इसी तरह से मथुरा में सिरोहा और डी० वी० चौधरी को खूब पीटा गया । पहली दिसम्बर को रामप्रसाद और उसके दूसरे साथी जो बनारसीपुल के रहने वाले हैं, उनको बल्देव पुलिस स्टेशन के तोमर और त्यागी नाम के पुलिस अफसरो ने खूब पीटा । इतनी पिटाई की कि उनके मुँह और नाक से खून बहना शुरू हो गया । एक पत्रकार हैं नाम है देवनन्दन कुदेशिया काफी लोग उनको जानते हैं । उनकी पिटाई की जाती है और तब तक पीटा गया कि आखिर बेहोश हो गये । बुलन्दशहर के कई मामले हैं लेकिन मैं उनको छोड़ दता हूँ । लाकेन कानून अपनी जगह पर है । कानून के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता । कानून के माने यह नही हैं कि नाखून खीच लिया जाय और पेशाब पिलाया जाय और लगातार पिटाई की जाय । यह बात नहीं है कि इसकी सूचना ऊपर के अफसरों को न हो ।

मेरे साथियों ने मुझे तफसील में बताया है कि उन्होंने डी० एम० को लिखा एस० पी० को लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । कल ही मेरे पास देवरिया के कुछ लोग आये । मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना कारण उन्हें बन्द कर दिया था । डी० आई० जी० के पास गए, शिकायत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला वे लोग कह रहे थे कि अब मीसा में बन्द करने का इरादा है । मैंने कहा लिखकर दे दो, नारायण दत्त जी मेरे साथी रहे हैं उनसे कहूँगा, लाये शाम को लिखकर, मैंने कहा कि

आज मेरी तबियत कुछ अच्छी नहीं है। वैसे भी मैं मशगूल रहूँगा; २४-२५ को मिलता। पुलिस वालों की यह हिम्मत है, क्यों है? क्या पुलिस इस देश की मालिक है या आप लोग हैं? यह पुलिस का हाल है। मैं तो नहीं कहता कि उनका दोष है। वह तो एक मशीन है, किसी भी तरह इस्तेमाल कर लीजिए, उसी तरीके से काम करेगी जैसा आपका दृष्टि-कोण होगा।

कांग्रेस पार्टी पावर में हमेशा रहना चाहती है। अगर कोई कुछ कहने की हिम्मत करता है, तो वह देश का दुश्मन कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। विरोधियों के साथ दुनिया में 'देशद्रोहियों' जैसा बर्ताव डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) में नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप (तानाशाही) में कि... वैसा ही बर्ताव यहाँ किया जा रहा है।

अब मजिस्ट्रेटों के ... पर निर्भर हैं, जैस... खुद ने अपना... कहेगा ... भी...

थे और जेल के फाटक पर गिरफ्तार कर लिए जाते और दूसरे या तीसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा पेश हो जाता कि अमुक कोने पर ३० आदमी इकट्ठा थे और कह रहे थे कि गवर्नमेंट निकम्मी है। इस तरह वह फिर गिरफ्-तार कर लिए गये। पुलिस का कहना था कि वह छूटते ही व्याख्यान देते थे। शेसन जज आर्डर करता, तो उन... रिलीज (रिहा) करना पड़ता। फिर बाहर आ... बना दिया गया। एक व्यक्ति को पु... में रखा, चूँकि पुलिस ... मजिस्ट्रेट के सा... मजबू...

ने इन्दिरा जी को यह पत्र लिखने की जुर्रत की कि आपने जिस तरह से इमरजेंसी लगायी है और जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वह मुनासिब नहीं है। इस पर पुनः विचार करें। सच्चर साहब शायद उड़ीसा के गवर्नर रह चुके हैं। बस उनके लिखने से इन्दिरा जी नाराज हो ...। उनको जेल भेज दिया गया। ससुर को जेल और दामाद ...। जिस दिन मैं फाटक पर गया था, उस दिन ... करने आयी थी। यह मजाक भी अच्छा ... घबराना नहीं, सच्चर साहब को ... कि मैं कहाँ घबराती ... में आ ...

विभाग) से मिला हुआ है। कितने आदमी हैं जिनमें विरोध करने की हिम्मत हो। ऐसे-ऐसे आरोपों के बाद वे चुप बैठ जायेंगे। न्यायाधीशों की क्या हिम्मत है कि आपकी निगाह न देखकर आपके खिलाफ फैसला दे सकें। लेकिन खुश-किस्मती की बात है कि कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। बंगाल हाईकोर्ट, भोपाल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जो फैसले हुए हैं, उनसे कुछ आशा बँधती है।

अब लीजिए आल इण्डिया रेडियो और टेलीविजन को। वह तो गवर्नमेंट के प्रोपेगैण्डा के माध्यम हो गये हैं। रेडियो से सिर्फ गवर्नमेंट का ही प्रोपेगैण्डा होता रहता है, वह गवर्नमेंट की वाणी बन गया है। वास्तव में वह केवल ...र्नमेंट की वाणी नहीं बनाया जा सकता, वह केवल काँग्रेस ... ही नहीं, बल्कि वह सारी जनता के लिए है। ... लोग कहते-कहते थक गए हैं कि रेडियो ... लेकिन यह नहीं हो पाया ... साधन बन गया है। ... नहीं है, हाँ ... आरोप ...?

अखबारों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। सन् १९४२ में ६०–७० हजार आदमी गिरफ्तार हुए और उसका असर आज तक हमारे दिमाग पर है कि कितना बड़ा आन्दोलन था। आज दूने आदमी गिरफ्तार हुए, लेकिन लोगों को लगता है कि कोई आन्दोलन ही नही है। क्योंकि कोई अखबार कुछ छाप ही नहीं रहा है—छाप ही नहीं सकता है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा सेंसर (प्रतिबन्ध) नहीं था, जैसा आज है।

राजनारायण जी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेश था। संजय गाँधी जाते हैं, सुप्रीमकोर्ट में मामले को सुनने के लिए। इसलिये पुलिस वकीलो को एक जगह से दूसरी जगह जाना रोक देती है, क्योंकि संजय गाँधी आये हुए हैं; उनको खतरा हो सकता है। सुप्रीमकोर्ट के बार एसोसिएशन की मीटिंग होती है, पुलिस की निन्दा की जाती है। क्योंकि जस्टिस महोदय के पास उनका एक डेपुटेशन जाता है कि पुलिस किस तरह वकीलों को रोकती है, इसलिये चीफ जस्टिस प्रधानमन्त्री को लिखता है। क्या यह एक ऐसी चीज है, जिसमें लोगों को दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह खबर अखबार में नहीं छपी, क्योंकि सेंसर था। कौन से नार्म्स (पैमाने) हैं? यह आपका लौह-पजा क्या जाहिर करता है? आपके ऐसे रवैये के सम्बन्ध में कुलदीप नैयर का जजमेंट हुआ। एक दो पेपर में आखिरी पृष्ठ पर अथवा आखिरी कालम में कुछ छपा, लेकिन आमतौर पर नहीं छापा गया। इसी तरह से प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता टूट जाती है। लगभग ६७ नक्सलाइट कैदी दिन के दो बजे जेल तोड़ कर आजाद हो जाते हैं। पटना जेल इसी तरह टूट जाती है लेकिन यह सब अखबारों में नहीं आता। इसी तरह से दिल्ली में तिहाड़ जेल टूट जाती है। राजनीतिक कैदी नहीं निकला था, गैर राजनीतिक कैदी १०–१२ निकल जाते हैं। एक भी कैदी अगर छूटने की तारीख से पहले जेल से भाग जाता है, तो बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन इतनी जेलें टूटीं, उनकी खबर अखबारों में नहीं आयी। कितनी ही ऐसी चीजें हैं, जो जरूरी नहीं थीं। उनकी बाबत तो बतलाया जाता है, लेकिन जो जरूरी थी उनकी बाबत नहीं बतलाया गया। विपक्ष के किन लोगों की साजिश गवर्नमेंट को गिराने की है, जिसके लिये आपने सेंसर लगाया? मौलिक अधिकारों में अखबारों की आजादी का अपना अलग महत्व है। लोकतन्त्र के चार अंग माने जाते हैं—न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्रेस। न्यायपालिका के बारे में मैं बता चुका हूँ। कार्यपालिका के बारे में भी बता चुका हूँ। विधायिका का यह हाल है कि ३३६ एम० पी० लोकसभा में आँख मींच कर हाथ उठाते रहते हैं। चौथा है प्रेस, जिसकी बाबत मै कह ही चुका हूँ।

बात यह है और बड़े अफसोस की बात है कि हमारी प्रधानमन्त्री कभी सच नहीं बोलेंगी—कभी नहीं बोलेगी। लिख लीजिये, इसका जवाब दे दीजियेगा। जो बयान उन्होंने दिये हैं, उसमें गलत बयानी ही अधिक की गयी है। कहती हैं कहाँ है सेंसर। नारायणदत्त जी, यहाँ यू० पी० में सेंसर है या नहीं? हिन्दुस्तान में है या नहीं? गाइड लाइन्स के नाम से आदेश दे दिये गये हैं। इनके खिलाफ अगर प्रेस वाले कुछ करें तो फौरन कार्यवाही। बिजली का कनेक्शन काट दिया जायेगा। अखबार छपना बन्द हो जायेगा और कोई अपील नहीं होगी। यह है आपका हाल। कहीं भी गाइड लाइन्स ऐसी ही हैं और सुना है कि आपको इस बीच कुछ और गाइड लाइन्स जारी हुई हैं, मार्च २२ को। उसमें किसी के दस्तखत नहीं हैं कि कहाँ से, किसके हुक्म से जारी हुई हैं। अगर कोई प्रेस वाला न माने और यह कहे कि गाइड लाइन्स पर किसी के दस्तखत नहीं थे, तो सम्भव है इफारमेंशन (सूचना) डिपार्टमेंट डी० एन० और हाईकोर्ट से तो बच जायेगा, परन्तु आपके हाथ में इतनी शक्ति है कि उसको रगड़ कर सुखा देंगे। आपने प्रेस को क्या बना दिया? आज मैंने सुबह पाइनियर देखा, उसमें कोई न्यूज (खबर) ही नहीं थी। ऐसे ही और पेपर्स (समाचार-पत्र) हैं। ए टु जेड (एक से सौ तक) दो ही नाम उसमें हैं। एक हमारी बहिन जी हैं और दूसरा हमारा भान्जा है।

मैं अभी १९–२० तारीख को बम्बई गया था। चार-पाँच दलों के नुमाइन्दों ने इकट्ठा होकर यह तय किया कि एक जबरदस्त विपक्षी पार्टी बनायी जाये, फैसला हो गया। २० तारीख की दोपहर को मीटिंग में, मैं मौजूद था। लेकिन २१ तारीख को मुझे यहाँ आना था, इसलिये मैं इजाजत लेकर वहाँ से चला आया। उस रोज एक प्रस्ताव एक सज्जन लिखकर लाये। जयप्रकाश नारायण जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिये नहीं आ पाये। इसलिये यह हुआ कि

२१ मार्च को उन्हें दिखाकर वह रेजोल्युशन रिलीज कर (निकाल) देंगे। वह २२ मार्च को अखबारों में आना चाहिए था। वह २१ तारीख की बात थी। आज २३ तारीख है, न कल आया और न आज ही। रिलीज तो जरूर कर दिया होगा। लेकिन आज तक प्रेस में नहीं आया। उस पर आपकी गवर्नमेंट की कृपादृष्टि हो गयी होगी, क्योंकि चार पार्टियों का एक होना उनके हिसाब से जनहित के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि वह आपस में लड़ते रहें, ताकि उनकी गद्दी हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, आपकी ही नहीं, आपकी औलाद के लिए भी, क्योंकि दो पीढ़ी तो बीत गयी। तो यह है आपका सेंसरशिप।

इसी तरह से अग्रवाल और जेल काण्डों के बारे में भी प्रेस में कुछ नहीं आया। अग्रवाल के केस में वकीलों की मीटिंग हुई, वह भी नहीं आया। यह जो हमारे अखबार वाले है, इनसे मेरी मुलाकात हुई। कुछ नये-नये नवजवान आ गये है। मैं उनको नही जानता हूँ, परन्तु उनकी आँखों से, उनके लहजे से मालूम होता है कि वे आपकी मेहरबानी के शिकार हैं।

अब और एक मजे की बात है; अभी एक फारेन न्यूज एजेन्सी (विदेशी सम्वाददाता समिति) से इन्टरव्यू हुआ, बहिन जी का। उन्होने कहा कि प्रेस सेंसर क्यों लगा रखा है? तो इन्दिरा जी ने उत्तर दिया कि यहाँ के अखबार गवर्नमेंट के खिलाफ अनर्गल प्रोपेगैंडा करते थे; वह बड़े-बड़े उद्योगपतियों के अखबार हैं और बड़ी-बड़ी जायदाद वाले हैं, इसलिए वे हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि हम गरीबों की हामी हैं। वह प्रेस वाले मालदार आदमी हैं, हम उनके खिलाफ हैं, इसलिये वह खिलाफ प्रोपेगैंडा करते हैं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ नारायणदत्त जी, कि प्रोपेगैंडा करने का सबको हक़ होता है, सही हो या गलत, अगर वह करना चाहे। कही सविधान में लिखा है कि प्रोपेगैंडा नहीं होगा? क्योकि यह प्रोपेगैंडा उनके खिलाफ होता है, इसलिए वह कहती हैं कि यह लोकतन्त्र के खिलाफ है।

नारायणदत्त जी मेरे नौजवान दोस्त हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि मालदार लोग आपके खिलाफ नहीं हैं और आप भी उनके खिलाफ नहीं हैं। अगर उनसे पूछा जाये, तो उनके लिए आपसे बेहतर कोई और गवर्नमेंट नहीं होगी। सन् १९४७ में बिड़ला जी की सम्पत्ति ३० करोड़ थी और सन् १९५१ में बढ़कर ६५ करोड़ हो गयी और सन् १९६४ में बढ़कर ४०० करोड़ हो गयी। आज बहिन जी के शासन के १० वर्षों के बाद वह १० अरब हो गयी है। यही हाल सबका है। इस तरह के ९५ बड़े-बड़े पूँजीपति घराने हैं। जबसे आपका राज्य आया, तबसे उनकी सम्पत्ति दुगनी-चौगुनी और दस गुनी और बीस गुनी हो गयी है। लेकिन आप दुनिया को यह जाहिर करना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं। इमरजेंसी लागू करने के बाद फेक आर्गनाइजेशन (धोखे के सगठन) कायम किये अध्यापकों के या और लोगों के और वह दिल्ली डेपुटेशन लेकर आये। उसमें बिड़ला जी भी एक डेपुटेशन ले जाते हैं और प्रधानमन्त्री से कहते हैं कि जो इमरजेंसी आपने लागू की है, उसका हम समर्थन करते हैं। फिर भी आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं और उनके अखबार आपके खिलाफ खबर छापते थे। जो शिकायत हमको होनी चाहिए कि अखबार वाले हमारी खबरें नहीं छापते हैं, वह आप करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। आपके हाथ में विज्ञापन हैं, अखबारी कागज का कोटा है, उसे रिलीज करना आपके हाथ में है, बिजली आपके हाथ में है, लायसेंस देना आपके हाथ में है, फैक्ट्री लगाने की इजाजत देना या न देना आपके हाथ में है। फिर क्या यह लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं? इसका मतलब है जान-बूझकर झूठ बोला जाता है, ऐसे नंगी और गलत बयानी की जाती है। इस तरह गलत बयानी करना आपकी ही हिम्मत का काम है और आपकी ही यह हिम्मत है कि इस गलत बयानी को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी हिम्मत है, यह कोई पुरुष नही कर सकता। कोई पुरुष ६० करोड़ आदमियों को इमरजेंसी के नाम पर इस तरह से नहीं हाँक सकता है, जैसे यह राजेन्द्र कुमारी जी कर सकती हैं या इन्दिरा जी कर रही हैं। गाय बिगड़ जाये तो आदमी को छोड़ेगी नहीं, चाहे बैल किसी को छोड़ भी दे। बहनों में यह बात तो है ही। रोजाना की गलत बयानी मेरी समझ में नहीं आती। वह कैसे कर रही हैं, यह एक अचरज की बात है। कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के समाचार भी सेंसर होकर आते थे। आपकी तरफ से जो गवर्नमेंट के आदमी पैरवी करने वाले थे, उनकी तकरीर (भाषण) आधे

कालम में आयी और जवाब केवल दो पन्नों में आया। यह आपने उनके साथ में बर्ताव किया। सच्चाई का गला जितना आपने घोटा है, इतिहास में किसी ने नहीं घोटा होगा। जितनी न्यूज एजेंसी थीं सब समाचार के नाम से खतम कर दी गयी हैं। चायना की न्यूज एजेंसी और मास्को की तरह ही आपकी समाचार एजेंसी है। दिल्ली का 'समाचार' और मास्को का 'तास' बराबर है।

जो मूल्य आप कायम करेंगे उसका नई पीढ़ी पर असर होगा। पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जी के मूल्यों का असर हम पर हुआ, वैसे ही आपके मूल्यों का असर नई पीढ़ी पर होगा। इसी तरह जो इन्दिरा गाँधी कहेंगी, जो उनका तरीका होगा, जो शब्द उनके मुँह में होंगे, जो उनका दृष्टि-कोण होगा, जिस चश्में से वे दुनिया को देखेंगी, जिनको काँग्रेस में रहना है, उनको उसी तरीके से रहना होगा, देखना होगा। विपक्ष के एक सदस्य ने पार्लियामेंट में मन्त्री जी से पूछा कि क्या आप यू० एन० आई० व पी० टी० आई० आदि जो पुरानी महत्वपूर्ण एजेन्सी हैं और जो धीरे-धीरे अपना हिन्दी-विभाग विकसित कर रही हैं, उनको ठोंक-पीट कर एक जगह लाना चाहते हैं, तो उस पर सम्बन्धित मन्त्री श्री वी० सी० शुक्ल ने कहा कि उन्हें बिल्कुल आजादी है, वे बिल्कुल स्वेच्छा से मिल रही हैं, इस पर मुझे हिटलर और स्टलिन की याद आती है, जिसने कहा था कि सब स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। उनके जमाने में जो राजनीतिक अपराधी जेल लाये गये थे, उनके साथ वह बर्ताव हुआ, जो बरेली में हुआ—अगूठा दबाकर खून बहाया गया और सबसे कबूल करवाया गया। ऐसा ही श्री शुक्ल जी ने प्रेस वालों के साथ किया और कहा कि वे स्वेच्छा से अपनी हस्ती मिटाने के लिए तैयार हो गये हैं। नारायणदत्त जी, मैं अपनी सारी तकरीर वापस ले लूँगा यदि आप इन अखबार वालों से पूछें कि असलियत क्या है? सही हालत जानकर आपको आश्चर्य होगा। हाईकोर्ट को भी यह जानने की हिम्मत नहीं है। सब-इस्पेक्टर से नाराजगी हुई और जेल के अन्दर। यदि दुकानदार से जितना रुपया माँगा गया और उसने उतना नहीं दिया तो मीसा के अन्दर। मुझे मालूम हुआ है कि आमतौर पर पुलिस वालों का अब यही रवैया है। आपात्कालीन जमाने में उन्होंने तरक्की की है। पहले पुलिस वाले अपनी अक्ल से ही कुछ करते थे, अब यह काम वह स्थानीय लोगों से यानी काँग्रेस के लीडरों से मसविरा करके करते हैं।

मैं आपसे कह रहा था कि आज यह पोजीशन (स्थिति) है। जेल के अन्दर जिसको चाहो बन्द कर दो। जुडीशियरी (न्यायपालिका) की हालत खराब, मैजिस्ट्रेसी की हिम्मत नहीं और रेडियो आपके हाथ में है। न्यूज एजेंसी आपके कब्जे में है और पब्लिक मीटिंग हम कर नहीं सकते। जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, वह अखबार में छप नहीं सकती, क्यों? क्यों डरते हैं आप? अखबारों में क्यों नहीं छपने देते? कोई कारण? पब्लिक मीटिंग नहीं करने देंगे, अख-बार में नहीं छपने देंगे, जिसको मन चाहे गिरफ्तार कर लेंगे? यही लोकतन्त्र है? यह तरीका तो डिक्टेटरशिप का है। राज्य आपका चल रहा है; बेशर्मी के साथ चल रहा है। महात्मा जी के सपनों का भारत क्या ऐसा ही था? आवाज विरोधी पक्ष की कुचल दी गयी, उनका गला घोट दिया गया। वे लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दो वर्ष हुए ब्रजनेव आया था। मधुलिमये से वह पूछ बैठा कि हिन्दुस्तान में दूसरी पार्टी की यहाँ क्या जरूरत है? उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे नहीं मालूम। आपकी धारणा है कि जब आप चुन कर आ गये और प्राइम मिनिस्टर बन गये, चीफ मिनिस्टर बन गये, तो फिर अब कहाँ विपक्ष की जरूरत रह गयी। आपकी निगाह शोसल डेमोक्रेसी की तरफ है यानी कम्युनिस्ट माडल के जनतन्त्र की ओर। आप बराबर कहते आये हैं कि चुनाव करायेंगे। हमने आपके नेताओं के बयान पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव समय से होगे। मैं जानना चाहता हूँ कि निश्चित समय यानी फरवरी, मार्च सन् १९७६ में क्यों नहीं हुए? चण्डीगढ़ में तय किया गया कि चुनाव नहीं होंगे। बहिन राजेन्द्र कुमारी जी मुझे अफसोस होता है। सिद्धार्थ शंकर राय ने चुनाव की बाबत कहा कि चुनाव बहुत छोटी चीज है, हमें मुल्क को मजबूत करना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुल्क की मजबूती का चुनाव कराने या न कराने से क्या मतलब? चुनाव नहीं करा रहे हैं, इस विषय में उनके शब्द ये हैं—

"होल्डिग आफ इलेक्शन इज माइनर, मोर इम्पारटेंट इज दैट वी हैव टु ले फाउन्डेशन फार दी कन्ट्रीज प्रोग्रेस।" चुनाव कराना एक छोटी बात है। इससे बड़ी बात है तथा

महत्वपूर्ण बात है, देश की प्रगति की नींव स्थापित करना। अगर आपकी यह धारणा है कि मुल्क का हित केवल काँग्रेस से ही हो सकता है और आप चुनाव जीत जायेंगे, तो क्या दिक्कत है चुनाव कराने में ?

मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप कराइये चुनाव। आप जानते हैं कि आप हार जायेंगे। गुजरात में आप हारे थे, यह सूरत तब थी जब विरोधी दलों ने केवल एक मोर्चा बनाया था। मोर्चे की जगह एक विकल्प दल होता, तो और भी अच्छे परिणाम होते, फिर भी आपके केवल ४० प्रतिशत वोट पड़े। गुजरात को आप छोड़िये। यदि आपकी पार्टी को जन-समर्थन प्राप्त है, तो सीधी-सी बात है चुनाव क्यों मुल्तवी किया ? क्योंकि आपकी हार निश्चित थी। यह प्रधानमन्त्री की शान के खिलाफ है कि वह गलत बयानी करें, परन्तु इन्दिरा जी बराबर गलत बयानी करती रहती हैं।

इलेक्शन का जब वक्त आयेगा किसी दूसरे देश से लड़ाई छेड़ देंगे। ताकि एक साल के लिए फिर इलेक्शन मुल्तवी हो सके। जो तरकीबें डिक्टेटर्स की होती हैं, वे की जाती हैं और की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय ! अब मैं संविधान के बारे में निवेदन करता हूँ। जिस प्रकार से वह एमेंड (सशोधित) किया जाता है, वह भी दुनिया में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री अपना पेटीशन हार जाती हैं या उनके खिलाफ जो पेटीशन है, उसमें वे हार जाती हैं। अपील करना पड़ता है, तो देश के कानून को ही अपने इन्टरेस्ट (हित) में बदलवा लेती हैं और वह भी रिट्रौस्पेक्टिव इफेक्ट (पूर्व प्रभावी रीति) से। जो हाईकोर्ट के जजमेंट के शब्द हैं, ठीक वे ही शब्द रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट (जन प्रतिनिधित्व कानून) में रखे जाते हैं। १९ दिसम्बर सन् १९७६ को इन्दिरा जी से अखबार वालों ने पूछा कि संसद के चुनाव में आप कहाँ से खड़ी होंगी, तो कहा कि रायबरेली से। इसी को होल्डिंग आउट कहते हैं, अर्थात् पहले से किसी बात का संकेत करना। उसके बाद ७ जनवरी को एक सरकारी आफीसर इन्दिरा के चुनाव-क्षेत्र में उसके हक में भाषण देता है, जो कानून के अनुसार भ्रष्टाचार है। लेकिन कानून में संशोधन कर दिया गया कि होल्डिंग आउट नामजदगी की तारीख से माना जायेगा। इन्दिरा जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने ३ बातों पर अपना निर्णय दिया था और तीनों ही संविधान और कानून का संशोधन करके रद्द कर दिए गये। किसी देश का प्रधानमन्त्री अपने हित में हाईकोर्ट से फैसला खिलाफ हो जाने पर लोकसभा में अपने बहुमत के बल पर कानून में संशोधन करा ले और उसके बल पर चुनाव याचिका जीत जाये, तो संसार में इस प्रकार की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। अब सुप्रीमकोर्ट के सामने कोई चारा नहीं था, अगर्चे उसमें भी दो राय हो सकती थीं यानी बहुमत के बल पर किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने हक में कानून बदलवाना कहाँ तक संविधान की भावना के अनुकूल है ? लेकिन सुप्रीमकोर्ट से फैसला सुनाने के दिन जैसा भी कानून था उसको ध्यान में रखते हुए इन्दिरा जी की अपील को मंजूर कर लिया, जिसका कि हम लोगों को और हर न्यायप्रिय आदमी को अत्यन्त मानसिक कष्ट है। आप भले ही बहस में हमसे जीत जायें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसी मान्यतायें होती हैं, जो हमेशा कायम रहनी चाहिये, जिनसे मुल्क बनते और बिगड़ते हैं। इन्दिरा जी के जजमेंट के सिलसिले में जो कुछ हुआ वह देश के लिए शर्म की बात है।

इमरजेंसी या आपात्कालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए देश की स्थिरता का बहाना किया गया है। न मालूम देश की स्थिरता को कहाँ और कैसे खतरा हो गया था ? ७ नवम्बर को अपराह्न इन्दिरा जी अपील जीत चुकी थीं। उस दिन देहली में काँग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई, जिसके सिलसिले में ८ नवम्बर के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में इस प्रकार खबर छपी कि :—

"Before Mrs. Indira Gandhi reaches the A.I.C.C. Office the meeting passed a resolution, which said that the unanimous verdict of the Supreme Court had justified the will of the people. Also that the democratic ideals of our noble land have asserted this supremacy."

"श्रीमती इन्दिरा गाँधी के अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहुँचने के पूर्व ही मीटिंग ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने

सर्वसम्मत निर्णय के द्वारा जनता की इच्छा को न्यायोचित सिद्ध कर दिया है और यह भी सिद्ध कर दिया है कि हमारी पवित्र-भूमि में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का स्थान सर्वप्रमुख है। परन्तु मेरी अपनी तुच्छ राय में भारतवर्ष अब पवित्र-भूमि नहीं रह गया है। जहाँ के मिनिस्टरों की तलाशी लेते हों दूसरे देश के लोग और सौ देशों के मिनिस्टरों की तलाशी न होती हो। दूसरे देश के जूनियर अधिकारी जिसका चाहे सामान खुलवाकर देख लें और वहाँ की सरकार से जब पूछा जाता है कि आपने इंडिया के फाइनेंस (वित्त) मिनिस्टर की तलाशी क्यों ली, तो जवाब मिलता है कि हमें यह अन्देशा था कि हमारे देश का सिक्का चुरा कर तो नहीं ले जा रहे हैं हिन्दुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। छोटे से छोटे मुल्क के मिनिस्टरों की तलाशी नहीं ली गयी। क्यों, यह धारणा थी, सच थी या गलत; सच ही मैं तो मानता हूँ कि भारत का मन्त्री चोरी कर सकता है। यह पवित्र-भूमि थी गाँधी के जमाने में। गुलामी के जमाने में भी दूसरे देशों के लोगों के घरों में इस देश के लीडर की तस्वीर लगी रहती थी। उस जमाने में हम लोग अपने प्यारे देश के लिए तरह-तरह के स्वप्न देखते थे। अब यह नोबिल लैंड (पवित्र-भूमि) रह गया है क्या? मोस्ट इग्नोबिल (बिल्कुल अपवित्र) हम जैसे लोगों के लिए कहीं दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं है और हो भी तो इस उम्र में अब जाना भी नहीं चाहेंगे।

अब देखिये आगे चलकर बरुआ साहब क्या फरमाते हैं–

"Moving the resolution Mr. Baroah said that Mrs. Indira Gandhi had saved the Nation from anarchy and chaos. That Indian people have shown that they were not slaves of some hooligans."

"प्रस्ताव पेश करते हुए श्री बरुआ ने कहा कि श्रीमती गाँधी ने राष्ट्र को अराजकता तथा अव्यवस्था से बचा लिया। भारतीय लोगों ने यह बतला दिया कि वे कुछ गुण्डों के गुलाम नहीं हैं।"

मेरे तथा जयप्रकाशनारायण जैसे गुण्डे! अगर आप हमको गुण्डे कहें और हम आपको बदमाश कहें तब? और आपने हमको कुछ और कहा और हमने लाठी निकाल ली तब आप गोली निकाल लेंगे। क्या राजनीतिक विरोधियों को हूलिगन कहा जाता है डेमोक्रेसी में कहीं पर भी? दिन-रात आपके प्रेसीडेंट इसी प्रकार का प्रलाप करते हैं। अगर हम गुण्डे हों भी तब भी आप गुण्डे नहीं कहेंगे। ऐसी ही जनतंत्र की रीति होती है। आप कहिये कि हम गलत काम करते हैं। आपने हमको गुण्डे कहा, लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आगे और कहते हैं–

'They knew that the centre would be weakened if Mrs. Indira Gandhi was removed from the summit. The country would be ruled by Thugs and Pindaries.'

"वे जानते थे कि यदि श्रीमती गाँधी शीर्षस्थ पद से हटीं, तो केन्द्र कमजोर हो जायेगा। देश का शासन ठगों और पिंडारियों के हाथों में चला जायगा।"

इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता।

मीसा बनाया था अपराधियों के लिए, जो वाकई तस्करी करते हों; आश्वासन दिया गया था कि लोक-सभा में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मीसा इस्तेमाल नहीं होगा। माननीय देसाई साहब ने जब अनशन किया था, उस समय एक माँग उनकी यह भी थी। उस समय इन्दिरा जी ने उनको लिखा था कि मीसा को राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। परन्तु आपने हमको फिर भी मीसा में बन्द कर दिया। क्या आप बतायेंगे क्यों? आप सदन में बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर वायदा करती हैं, मोरार जी देसाई को पत्र लिखती हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपने इन आश्वासनों की अप्रतिष्ठा क्यों की?

उपाध्यक्ष महोदय! सन् १९३७ के शुरू में जब मेरी उम्र ३४ वर्ष की थी और मैं पहले यहाँ एम० एल० ए० होकर आया, तो मेरे साथ एक कृष्णचन्द्र जी भी आए थे। वे पुराने आदमी थे। मैं और वे तथा एक और सज्जन एक ही कमरे में रहते थे और साथ ही विधान-सभा में आते-जाते थे। जूनियर लड़का था मैं। हमारे बड़े-बड़े नेता मन्त्री थे और उन दिनों विरोध-पक्ष में भी कई बुजुर्ग लोग थे–जैसे राजा महाराजसिंह वगैरह कितने लोग थे। मुझे अब तक अच्छी तरह से याद है कि प्रोफेसर कृष्णचन्द्र जी कहा करते

थे कि देखो चरणसिंह, जब कोई मिनिस्टर कहीं कोई बयान देता है, मान लो वह दौरे पर जाये और बयान दे, तो वह सरकार की नीति-वक्तव्य की भाँति मान्य होता है। वह गवर्नमेंट का स्टेटमेंट माना जायगा। आज मीसा के मामले में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने औपचारिक वायदा कर दिया। इन्दिरा जी व्यक्तिगत हैसियत से चाहे जो करे, लेकिन यह प्राइम मिनिस्टर का वायदा था। उसकी अवहेलना करना प्रधानमन्त्री के पद को गिराने की बात है। नारायणदत्त जी! चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर दो साल रहे, चाहे दस साल रहे, हमें ऐसी परम्परा नहीं कायम करना है कि हिन्दुस्तान में आने वाली हमारी औलादें प्राइम मिनिस्टर के वचनों में यकीन न करें। यकीन के ऊपर सारी सोसायटी चलती है। प्राइम मिनिस्टर के वचनों पर मुल्क चलता है, मुल्क उठता है, लड़ाई लड़ता है, सन्धि करता है, नुकसान उठाता है और लाभ उठाता है।

अध्यक्ष महोदय! फिर न मालूम कितनी बार संशोधन हुए मीसा में, न मालूम कितनी बार अध्यादेश निकले। दूसरे मुल्कों में इस तरह की कोई परम्परा नहीं है और बात-बात पर वहाँ आर्डिनेन्स नहीं निकलते। यहाँ तक कि सन् १९३५ के गवर्नमेंट आफ इन्डिया एक्ट के अन्तर्गत भी आर्डिनेन्स जैसी बात नहीं थी। लेकिन आपने रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में अपने लिए सशोधन कर लिया कि आपके चुनाव के खिलाफ कोई अदालत में नहीं जा सकेगा भविष्य में। मैं जानना चाहता हूं क्यों? यह कौन सी जनतन्त्र है? जनतन्त्र के अन्दर तो सब लोग बराबर होते हैं। जनतन्त्र का मतलब यह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इस आशय से आपने रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट को सविधान के नवें अनुच्छेद में शामिल करा लिया। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टिर था, सन् १९५६ में, मुजफ्फरनगर में एक दिन जबरदस्त बारिश हुई और थोड़े समय में इतना पानी भर गया कि गाँव डूबने लगा। जिस गाँव में पानी बढ़ रहा था वहाँ एक पुराना नाला था, जिसको गाँव वाले काटना या खोदना चाहते थे, ताकि पानी निकल जाये। परन्तु गाँव के ही कुछ लोग इसके विरुद्ध थे। जब पानी भरने लगा और गाँव डूबने लगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गाँव वाले गये। फ्लड रिलीफ (बाढ़-राहत) का महकमा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट मेरे पास था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि वह जगह काट कर नाली खोद कर पानी को बहने दिया जाय, ताकि गाँव डूबने से बच जाय। एक किसान इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में चले गये और वहाँ से इंजन्कशन (स्थगन आदेश)ले आये कि जगह नहीं कटेगी, गाँव डूबे या रहे। माननीय तिवारी जी! मेरी उम्र उस समय ५३-५४ की थी, लेकिन मुझे उस वक्त तक इतना तजुर्बा नहीं था, जितना कि आज है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि हाईकोर्ट बात-बात में क्यों दखल देता है और गवर्नमेंट को चलने ही नहीं देता है? इसी तरह से गाजीपुर जिले के एक लेखपाल का ट्रांसफर (तबादला) हो गया। वह हाईकोर्ट में जाकर ट्रांसफर के खिलाफ इजन्कशन ले आया। उस समय की हमारी राय के अनुसार हाईकोर्ट गवर्नमेंट और सबको बेईमान समझती है और इसीलिए बार-बार इंजक्शन जारी करती रहती है। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मेरी कितनी बेवकूफी थी, मेरी कितनी नातजुर्बेकारी थी। मैं नहीं समझता था कि देश की यह अवस्था होगी आगे चलकर। मैं नहीं समझता था कि पन्त जी या मेरे साथी जानबूझकर कोई ऐसा गलत काम भी करेंगे बेईमानी का। लेकिन आज मेरी समझ में है कि अगर अदालत को अख्तियार न हो दखल देने का तो किसी नागरिक के अधिकार ही सुरक्षित न रह जायेंगे और बेईमान मिनिस्टर या बेईमान गवनमेंट को मनमानी करने का अधिकार मिल जावेगा।

श्री ऊदल—बहुत दिन के बाद समझ में आया।

चौधरी चरणसिंह—मैंने तो मान लिया।

श्री ऊदल—इसलिए मुझे खुशी हो रही है।

चौधरी चरणसिंह–अध्यक्ष महोदय, मैं श्री ऊदल के लिए अपने दिल में बहुत ज्यादा जगह रखता हूँ। इसलिए नहीं कि उनको मेरी बात पर खुशी हो रही है, लेकिन मुझ पर उनका पुराना उपकार है। जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, अपने क्षेत्र में एक मीटिंग में मुझे ले गये। मैंने कहा था कि मैं कम्युनिज्म को अच्छा नहीं समझता। किसानों की आजादी चाहता हूँ। तुम मुझे न ले जाओ। मैं कट्टर नान

(गैर) कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन ले गये। गलती से वहाँ बैठे हैं। अगली दफा लोकदल का टिकट लेंगे।

तो मैं कह रहा था कि शासक दल ने चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय! कानून बदल दिया। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर भी उसमें शामिल हैं। इनके विरुद्ध चाहे वह लोग चुनाव में कितनी ही बेईमानी क्यों न करें, विरोध का उम्मीदवार अदालत में न जा सकेगा। क्या बात हुई? जैसे कि मुगलों के जमाने के उमराव होते थे, रईस होते थे; कोई तीस हजारी, कोई पचास हजारी होता था। ऐसे ही इन्दिरा जी ने कहा कि यह लोग उमरा हैं। प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर और मैं। इनके विरुद्ध इलेक्शन पेटीशन जो होगा, वह अदालत में नहीं जायेगा। क्यों नहीं जायेगा अदालत में? एक अलग से आर्गनाइजेशन (सस्था) बनेगा; वगैरह-वगैरह क्यों? आप सब इसको डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? इन पर कोई सिविल केस नहीं चलेगा। कोई क्रिमिनल केस प्राइम मिनिस्टर पर चलेगा नहीं, न आज न कल। प्राइम मिनिस्टर न रहें तब भी नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों? मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक आदमी के साथ ज्यादती करता है, गुस्से में आकर शूट कर देता है। अगर मैं सामने जाऊँ तो मार ही डालेंगी। (हँसी)

कोई रेमेडी (बचाव) है क्या? बताइये यह कैसे?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी–आपको तो उन्होंने जेल से छोड़ दिया है।

चौधरी चरणसिंह–छोड़ तो दिया है और उसके साथ-साथ तरह-तरह की अफवाहें भी जारी कर दी हैं। (हँसी)

मैंने तो सुपरिंटेंडेन्ट जेल से कह दिया है कि अगर फिर आना पड़ेगा, तो मैं उनके जेल को पसन्द करूँगा। मैं तो यही कहूगा राजेन्द्र कुमारी जी से कि मुझे वहीं भिजवा दीजिये, तिहाड़ जेल।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कहीं दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया हो? मैं आपसे कहता हूँ, दोस्तो! यह दिल्लगी और हँसी का अवसर नहीं है। ठण्ढे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है? यह देश किसी के बाप-दादों का नहीं है, किसी के परिवार का नहीं है। हमारा सबका है, ६० करोड़ लोगों का है। यह जो हो रहा है आप सब को क्यों नहीं अखरता है? आखिर क्या होगा? काशी नाथ मिश्र कहाँ हैं, रोज ही झगड़ते हैं, भले काम के लिए। आज वह कहाँ गये? उनकी आवाज क्या हुई? इन्डीविजुअल फ्रीडम (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता) के लिये गाँधी जी ने कितना कहा है; लेकिन आप लोग कोई आवाज ही नहीं उठा सकते हैं। क्या चीज आड़े आ रही है? इसको मैं बाद में बताऊँगा। अध्यक्ष महोदय! यह आपके सविधान का हाल है। इसको अब मैं छोड़े देता हूँ।

इन्दिरा जी से कोई नहीं पूछ सकता है, चाहे वह कत्ल ही किसी का कर दें, चाहे वह अपील में बेईमानी करके जीत जायें। अब अदालत में पेटीशन लेकर कोई नहीं जायेगा, क्योंकि कामयाब होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया है। लेकिन मान लो कि अन्तःकरण से पीड़ित अर्थात् अति ईमानदार एक ट्रिब्यूनल बने, वह इस नतीजे पर पहुँचे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और पुलिस आफीसरों ने इन्दिरा जी को जिताया है, तो इसका सीधा-सा इलाज है, उन अफसरान से चुनाव से पहले की तारीख डाल कर इस्तीफा ले लें, और मंजूर इलेक्शन के बाद हो! इस प्रकार मान लो उन्होंने चुनाव कर बेईमानी का काम किया। जो कानून आज है, उसके अनुसार वह काम इल्लीगल (गैरकानूनी) है, परन्तु उस अफसर से कह देंगी कि हम तुमको डायरेक्टर या एम्बेसडर (राजदूत) फलाँ देश का बनाकर भेज देंगे। यह डेमोक्रेसी है? आप लोग कभी सोचेंगे कि नहीं? गाँव का आदमी तो जानता ही नहीं है। बुद्धिजीवी जानते हैं या कुछ अन्य शहर वाले। वह यह कहती हैं कि शहर वालों की मैं परवाह नहीं करती हूँ। मुझे तो गाँव वाले और गरीब चाहिए। लेकिन मैं उसके लिये भी तैयार हूँ। चाहें तो केवल गाँव वालों से ही इलेक्शन करवा लें। बड़ी आई हैं वह गरीब और गाँव वालों को जानने वाली। जवाहर लाल नेहरू तक तो उनको जानते नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वह गाँव के झोपड़ों में रही हैं? या उनकी कठिनाइयों को क्या वह जानती हैं? गाँव वालों का तो केवल प्रोपेगैण्डा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, पहले गाँव वालों में ही इलेक्शन करवा लें।

चुनाव के सिलसिले में इन्दिरा जी देश के साथ एक और मजाक कर रही हैं। कहती हैं कि चुनाव अवश्यमेव जीत जायेंगी, परन्तु चुनाव से देश का हित बड़ा है। इसलिए अभी चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। यह एक लाल बुझक्कड़ वाली बात हो गयी। चुनाव से देश-हित का क्या टकराव है, यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़के से यह सवाल पूछे कि एक किसान के पास १५ भैंसे हैं, उनमें ५ मर गयीं, तो बताओ कितनी भैंसे बचीं? (हँसी) चुनाव में जब आप जीत जायेंगी, क्योंकि जीतना तो आपको है ही, तो देश की सेवा और अधिक इतमिनान के साथ कर सकेंगी। फिर चुनाव और देश-हित में क्या जिद है? असल बात यह है कि वह जानती हैं कि बिना भारी बेईमानी किए काँग्रेस आज नहीं जीत सकती। बेईमानी की तरकीब निकालने के लिए इन्दिरा जी ने खुफिया विभाग में कोई सेल अर्थात् विशेषज्ञों की कमेटी बिठा रखी होगी कि बेईमानी करने के ऐसे रास्ते व तरकीबें ढूँढें, जिससे काँग्रेस की भारी जीत हो और विरोधियों को पता भी न लगे और लगे तो चुनाव के नतीजे निकलने के बाद।

वर्तमान स्थिति का वास्तविक कारण क्या है? मैं उसको भी जानता हूँ और वह यह है कि जून सन् १९७५ का हाई कोर्ट का निणय उनके खिलाफ हो जाना। काँग्रेस का गुजरात में उस तारीख को हार जाना। बस यही कारण हुआ हमारे जेल जाने का। जिस स्वराज्य को लाने के लिये हमने और हमारे नेताओं ने पुरुषार्थ किया था उस सब पर पानी फिर गया।

हमको स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि कानून हम कभी तोड़ेंगे। कोई हमको अब बतला भी नहीं सकेगा कि कौन सा कानून तोड़ा, जिसके कारण हमको जेल में डाल दिया गया। आज तक तो किसी ने बताया नहीं है।

डा० चेन्ना रेड्डी हमारे गवर्नर हैं। यह आँध्र हाईकोर्ट से पेटीशन हार गये। इस बीच में मिनिस्टर हो गये थे। उन्होंने अपील फाइल कर दी थी या करने वाले थे। अयोग्य करार दे दिये गये, क्योंकि हाईकोर्ट की राय में उनका कदाचार साबित हो गया। इन्दिरा जी ने कहा कि तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए और कहा कि केवल एम० एल० ए०, या एम० पी० हो, तो त्याग-पत्र का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु मिनिस्टर होने के नाते स्थिति बदल जाती है। मिनिस्टर को शोभा नहीं देता कि हाईकोर्ट से हार जाये और सुप्रीमकोर्ट के फैसले तक मिनिस्टर बना रहे; इस्तीफा देना चाहिए। मेरी उनसे बात नहीं हुई है; केवल अखबारों में पढ़ा है। इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब आपका (इन्दिरा जी का) केस वैसा ही हुआ, तो क्यों नहीं इस्तीफा दिया? मैं यह कहता हूँ कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए था और आगे ऐसा होना चाहिए कि फैसला होते ही इस्तीफा दे दे। इसमें शान भी होती है। कोई मनुष्य तो अनिवार्य नहीं है देश के लिए, लेकिन बहिन जी के स्वयं बयान क्या निकले? हाईकोर्ट का उनके विरुद्ध फैसला किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, देश का प्रश्न है। क्यों नहीं है व्यक्ति का प्रश्न? डाकू को सजा हो जाय और गाँव-पंचायत से प्रस्ताव पास करा ले कि वह डाकू नहीं है, बल्कि हमारा प्रधान भी है, इसलिए यह सारे गाँव का मामला है, सजा उसको नहीं मिलना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर ही कानून नहीं मानेगा, तो गाँव का सभापति या कोई और क्यों मानेगा? जरा देखिए, मैं कहता हूँ कि जरा देखिए हिम्मत। नियति ही खराब है। हँसते हैं आप लोग। कुछ लोग मुस्कराते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, जब आपके दल का अध्यक्ष कहता है इन्दिरा इज इण्डिया (भारत है), इण्डिया इज इदिरा (भारत ही इन्दिरा है) तो शरम आनी चाहिए आपको। जो और लोकतन्त्रिक देश हैं, वहाँ कभी ऐसा नहीं कहते। लेकिन वाह रे आपकी हिम्मत। यह आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है। आपने इसके विरुद्ध आवाज उठायी है? नहीं। उठानी चाहिए थी यह आवाज। आज आपको २५ प्रतिशत से ज्यादा जनता का समर्थन नहीं है। मान लीजिए ३३ सही, ४२ सही, लेकिन १०० फीसदी राय मिल जाये, तो भी इन्दिरा जी को देश की बराबरी पर नहीं रखा जा सकता। लज्जा नहीं आती यह कहते हुए? वह शख्स (श्री बरुआ) जो दूसरों को ठग कहता है, अपने स्वार्थ के लिए कहता फिरता है 'इन्दिरा इज इन्डिया एण्ड इंडिया इज इन्दिरा।' परन्तु पूरी काँग्रेस पार्टी उनको समर्थन करती है। आप महसूस नहीं करते हैं कि देश के साथ आप कितना बड़ा द्रोह व घात कर रहे हैं। लीजिये उससे ज्यादा अफसोस और शर्म की बात किसी इन्डियन पैट्रीआट (देश भक्त) के लिए और नहीं हो सकती। आपकी इस कायरता

के कारण ही देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गयी।

हम पर चार्ज क्या है ? इस देश की इंटीग्रिटी को थ्रेटेन कर रहे थे ? अर्थात् देश की एकता को जोखिम में डाल रहे थे ? इमरजेंसी (आपातकालीन स्थिति) एक मजाक बन गयी है। न किसी को बोलने दिया जायेगा, न चलने दिया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद ३५२ में एमरजेंसी इस तरह बयान की गयी है:–

'If the President is satisfied that a grave threat exists, whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whereby war or external agression or internal disturbances, he may by proclamation, make a declaration to that effect.'

"अगर राष्ट्रपति सन्तुष्ट हैं कि हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के किसी भाग की एकता जोखिम में है, किसी युद्ध से, आक्रमण से या आन्तरिक शान्ति भंग से और कहाँ पर अव्यवस्था पैदा हो गई है, तब वह इमरजेंसी (आपात्-स्थिति) घोषित कर सकता है।"

अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ८-९ महीने हो गये हैं। क्या औचित्य है आपके पास यह कहने का कि देश की एकता को खतरा है ? क्या हम पंजाब को लेकर पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ? क्या हम बंगाल को बंगला देश के साथ मिलाना चाहते हैं ? यह और क्या है ? क्या यू० पी० के हिस्से गोरखपुर या बहराइच को नेपाल में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं ? क्या है ? राष्ट्रपति कैसे और क्यों सन्तुष्ट हो गये कि देश की एकता को खतरा है? यह चैलेंज नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। बस उन्हीं की सन्तुष्टि है, यह कहना पर्याप्त है। प्रेसीडेंट तो हमारा (इन्दिरा जी का) बनवाया हुआ है। वह कुछ कह नहीं सकता है। एक अखबार वाले ने एक मर्तबा एक कार्टून बना दिया कि राष्ट्रपति महोदय गुसलखाने में हैं। एक सन्देश-वाहक पहुँचता है दस्तखत करवाने के लिए। एक कलम मँगवाकर वहीं दस्तखत कर दिये।

एक सदस्य– बोलते-बोलते आपकी आवाज बन्द हो जाती है, जो सुनाई नहीं देती है। यह एक व्यवस्था का सवाल है।

चौधरी चरण सिंह – आप तीन माइक यहाँ पर लगवा दें। बन्द नहीं होगी। मैं आपको अपना अपराध बताना चाहता हूँ। २५ जून को यू० पी० निवास के एक कमरे में, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, मेरी कमर में चणका था और साइटिका नर्व से बायें पैर में तकलीफ होती थी। वहाँ कुछ दोस्त व बुजुर्ग इकट्ठा हुए और एक रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) पास किया, जिसे मैं पढ़कर सुनाये देता हूँ। मेहरबानी करके बतावें कि इसमें कहाँ डिस्टरबेंसेज (अशान्ति), इन्टरनल सेक्योरिटी (आन्तरिक सुरक्षा) तथा इंटीग्रिटी (एकता) के खतरे का सवाल है।

'The National executives of the Cong. (O), Jansangh, Bhartiya Lok Dal, Socialist Party and the Akali Dal met that morning to finalize the week long programme of agitation to be launched throughout the country to focus attention on Mrs. Gandhi's refusal to resign even after she failed to get and uncoditional stay of the operation of the Allahabad judgement that set aside her election.'

"काँग्रेस संगठन, जनसंघ, भालोद, तथा सोपा की राष्ट्रीय कार्य-समितियाँ आज प्रातः एक सप्ताह के उस देश-व्यापी आन्दोलन के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेतु इकट्ठा हुईं, जिससे जनता का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हो सके कि श्रीमती गाँधी ने चुनाव-याचिका में हारने तथा तत्सम्बन्धी इलाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा उस निर्णय के बिना शर्त स्थगन-आदेश न मिलने के बावजूद त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया।" उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप हमको इस्तीफा माँगना चाहिये था या नहीं इस सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं ; परन्तु इसमें दो मत नहीं हो सकते कि हमको डिमांस्ट्रेशन (प्रदर्शन) करने का हक था, इस्तीफा माँगने का हक था, एजीटेशन (आन्दोलन) करने का हक था। हाँ, वायलेंस (हिंसा) करने का हक नहीं था। यह हमारा प्रस्ताव था। आगे चलकर उसमें यह भी था कि प्रदेश की राजधानी के अलावा तहसील-स्तर पर भी प्रदर्शन होगा कि इन्दिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए। यही हमारा कसूर है। बतलाइये, इसमें देश की एकता को कहाँ खतरा है ? सच्चाई यह है कि पहले से

सारा मामला तैयार था। आज की तैयारी नहीं थी। पहले से थी। एक बार इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाये, तो हमेशा के लिये डिक्टेटरशिप हो जायेगी। डिक्टेटरशिप नहीं होगी, एक परिवार का शासन स्थापित करने का मौका मिल जायेगा। अतः २६ तारीख को सबेरे सारे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गयी और उसके लिए आरोप क्या-क्या लगाये गये हैं, जरा उनपर विचार कीजिये।

जयप्रकाश नारायण जी पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने पुलिस व सेना के लोगों से कहा कि वह सरकार के आदेश पर अपने देश के लोगों पर गोली चलाने से इन्कार कर दें। मेरा ख्याल है कि ऐसा कहने का उनको हक हासिल है, जो उन्होंने कहा वह आपको और हमको भी कहने का हक हासिल है। सेना और पुलिस से हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा कोई आर्डर उनको दिया जाय जो कानून और देश-हित के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो तो वे उस पर अमल करने से इन्कार कर सकते हैं। उसे उनको नहीं मानना है। किसी सैनिक या पुलिसमैन की यह दलील नहीं मानी जायेगी कि उसके आफिसर ने उसको ऐसा हुक्म दिया था। आर्मी एक्ट (सेना कानून) में इस आशय का सेक्शन (धारा) मौजूद है। ताजी घटना आपको याद होगी माई-लाई की ? वियतनाम में माई-लाई एक जगह है। अमेरिका के मिलीटरी पर्सोनल (सेना के लोगों) ने कुछ बेगुनाह गाँव वालों को गोली का शिकार बना दिया। काफी बड़ी तादाद में लोगों की हत्या कर दी गयी। इस पर अमरीका में शोर मचा कि यह तो बुरा हुआ। मुकदमा चला। सैनिकों ने अपनी सफाई में कहा कि इसके लिए उनके अधिकारियों के आदेश थे। वहाँ कोर्ट ने निर्णय किया कि ऐसा कोई आदेश न्यायोचित नहीं हो सकता। यह सरासर जुर्म है। जो अफसर ऐसे आर्डर देता है, वह आपको नहीं मानना चाहिए। अगर आपने माना है तो सजा भुगतो। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन बहुत बड़ी बात हो गयी थी, अगर जे० पी० ने यह कह दिया था ? हमारे आर्मी एक्ट (फौजी कानून) में भी इसी तरह का प्राविधान है। अर्थात् कोई अधिकारी खिलाफ कानून आदेश देता है, तो उसके बाध्य नहीं हैं और उस पर अमल करने से इन्कार कर सकते हैं। अब लीजिए मोरार जी देसाई का मामला। आपका कहना है कि वह मिनिस्टिर रह चुके हैं और लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। उन्होंने निःसंदेह यह कहा था कि मैं सत्याग्रह करूँगा। किस मौके पर कहा था, किस बात पर कहा था—इस बात पर कहा था कि एल० एन० मिश्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। सारा विरोध-पक्ष कह रहा था कि न्यायिक-जाँच कराओ। आप नहीं माने। इसके पहले और मंत्रियों के विरुद्ध सवाल उठे। प्रधानमन्त्री ने तब भी नहीं माना। इस पर विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि सदन की ही एक कमेटी बैठ जाये ; लेकिन उसे भी नामंजूर कर दिया गया। बहुत मुश्किल से यह तय हुआ कि सी० बी० आई० की इन्क्वायरी (जाँच) करा ली जाये। और यह भी तय हुआ कि सी० बी० आई जो रिपोर्ट देगी वह सदन के पटल पर रखी जायेगी। उसके बाद सदन स्थगित हो गया। अगली बार जिस दिन हाउस को बैठना था, ठीक उसी दिन १० बजे कोर्ट में दावा दायर कर दिया गया, उन लाइसेंसदारों के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से। जब हाउस बैठा तो अपोजीशन ने कहा कि सुना है सी० बी० आई० की रिपोर्ट आ गयी है, उसे हाऊस की मेज पर रखिए। तो उसका जवाब मिलता है कि वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। सवाल उठता है कि आपने उसे विचाराधीन क्यों कर दिया ? इससे अधिक बेईमानी की बात क्या हो सकती है ? आपने तो वादा किया था। आपको मिनिस्टर होने का मौका मिलेगा तो क्या ऐसे ही करोगे ? अगर ऐसा करोगे, तो आपको मुबारक। मेरी तो हिम्मत नहीं है। मामूली शालीनताओं को, मामूली मान्यताओं को भी आप नहीं देखेंगे, तो कौन देखेगा ? इस पर मोरार जी ने कहा कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे और उन्होंने ठीक किया। विपक्ष का विश्वास है कि आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के मूल में राजनीतिक लोग हैं। इसलिए उनकी माँग थी कि भ्रष्ट राजनीतिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही करो। प्रशासन अपने आप ठीक हो जायेगा। न्यायाधीशों से जांच कराओ। जवाब मिलता है कि हमने देख लिया है, एल० एन० मिश्र० के खिलाफ कुछ नहीं है, बंशीलाल के खिलाफ कुछ नहीं है। मोटी सी बात है कि अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो जज द्वारा इन्क्वायरी कराने में क्या हानि थी ? क्या यह ईमानदारी है ?

एक बात मैं पहले भी सदन में कह चुका हूँ उसे फिर

दोहराता हूँ। .....सन् १७६० में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिनिस्टरों के खिलाफ शिकायत आयी, तो उस वक्त के प्रधान मन्त्री अर्ल आफ चेटहेम ने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमारा फर्ज हो जाता है कि उसकी तहकीकात करायें। अगर बात गलत पायी गयी, तो गवर्नमेंट की उससे शान बढ़ेगी और मन्त्री निर्दोष पाया गया, तो भी गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि गलत आरोप लगाये गये। किसी विशेष सवाददाता ने इन्दिरा जी से पूछा कि लोग आपके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मन्त्री भ्रष्ट नहीं है। क्या इससे अधिक असत्य दुनिया में कोई और हो सकता है? हालत यह है किसी जगह के लिए अगर आपके दो उम्मीदवार हैं, एक कम भ्रष्ट है और दूसरा अधिक तो मुकाबले ईमानदार या कम भ्रष्ट के उसको लिया जायेगा, जो भ्रष्ट हैं या अधिक भ्रष्ट हैं। क्योंकि वे जानती हैं वह तीन-पाँच नहीं करेगा। हम कहते हैं कि आप इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते हैं? फिर आपकी हिम्मत की एक बात कहता हूँ, आप एल० एन० मिश्र को शहीद बनाना चाहते हैं, क्यों? इसलिए न, कि आप लोग उनके और अपने पापों को छिपाना चाहते हैं।

हमारी बहिन गलती से भी कभी सही बात नहीं कहती हैं। रोज ही गलत प्रोपेगैंडा करेंगी, जिस तरह साम्यवादी देशों में ब्रेन-वाश किया जाता है या दिमाग की सफाई होती है। एक गलत काम करो, तो उसको छिपाने के लिए हजार झूठ बोले जाते हैं और हजार गलत बाते की जाती हैं।

फिर आपने विरोध-पक्ष पर एक आरोप लगाया है हिंसा करने का। तो वह कहाँ है? कहीं पर आज तक ईटें फेकी गयीं हों, वह बतायें। हिंसा साबित न कर सके, तो आप कहते हैं हिंसा के लिए तैयारी हो रही थी। कहीं कोई अन्य प्रकार का केस हुआ हो, तो उस सिलसिले का केस चलातीं। सारे मुल्क में इमरजेंसी लगाने की क्या आवश्यकता थी और हम लोगों को जेल में बन्द कर दिया, बिना किसी प्रकार की तहकीकात किये। आपको प्रेसीडेंट मिल गया दस्तखत करने वाला। मैं केवल इन्दिरा को भी दोष नहीं देता। वे ३३६ मेम्बर पार्लियामेंट में जो आँख बन्द करके हाथ उठाते हैं, उनका दोष इन्दिरा जी से कम नहीं है। दो लाख व्यक्तियों का एक एम० एल० ए० प्रतिनिधित्व करता है और दस लाख का एक एम० पी० प्रतिनिधित्व करता है। मैं फिर कहता हूँ कि वायलेंस करने जा रहे हैं, तो उसका सबूत आज तक क्यों नहीं दिया? हमें दिखा देते यह सबूत अलहदा बुलाकर या कोर्ट में दिखा देते। परन्तु आज तक नहीं दिखाया गया।

श्री रमेश श्रीवास्तव—यह तो हाउस की कार्यवाही में मौजूद है। आप तो हिंसा में विश्वास करते हैं।

चौधरी चरणसिंह—हाँ करता हूँ, लेकिन उतना ही जितना श्रीकृष्ण जी करते थे। उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि अगर पांडवों के साथ घोर अन्याय करोगे और उनको पाँच गाँव भी नहीं दोगे, तो युद्ध अनिवार्य हो जायेगा। इसी सन्दर्भ में आप महात्मा गाँधी के विचार जानने की कृपा करें, जो अहिंसा धर्म के तौर पर मानते थे। गाँधी जी ने कहा था कि मैं अहिंसा से स्वराज्य चाहता हूँ, तभी मेरे स्वप्नों का हिन्दुस्तान बनेगा। लेकिन अगर अहिंसा से स्वराज्य नहीं मिलता, तो मैं हिंसा इस्तेमाल करने में नहीं हिचकूंगा, क्योंकि मैं गुलामी से बेहतर हिंसा को मानता हूँ। हिंसा से बदतर गुलामी है। (व्यवधान)

.....आप क्या कह रहे हैं?

चौधरी चरणसिंह—मैं सही कह रहा हूँ।

सभी काँग्रेसमैनों का और पण्डित नेहरू का यही ख्याल था, वह नहीं मानते थे। अहिंसा को धर्म के तौर पर नहीं, मसलहत और पालिसी के तौर पर मानते थे। हिंसा किन्हीं परिस्थितियों में भी नहीं होगी, यह किसी ने नहीं कहा था। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं; मजबूरी और आवश्यकता हो सकती है, जिनमें हिंसा करनी पड़ सकती है—ऐसा लगभग सभी का विश्वास था। यह श्रीकृष्ण ने कहा था, पंडित जवाहरलाल ने कहा था, महात्मा गाँधी ने कहा था और यही मेरा कहना है। आप ६० करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर रख दें, उनकी स्वतन्त्रता समाप्त कर दें और आप चाहते हैं, यह सब कुछ मुल्क बर्दाश्त करता रहे। मैं लोगों

से हिंसा करने के लिए कहूँ, यह मुमकिन नहीं है और चाहूँ तो कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन आप समझते हैं कि स्टीम इकट्ठी होती रहे वायलर में और कहीं कुछ नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, एक विस्फोट होगा, एण्ड दी कन्ट्री विल बी डूम्ड इन फ्लेम्स (और देश जल जायेगा)। मैं आपके हित में कह रहा हूँ, अपने हित में और देश के हित में यह बातें कह रहा हूँ। आप किसी को ऐसा मौका न दें। हो सकता है कि कहीं कोई नौजवान या कोई पार्टी ऐसी हो, जो बहुत दिनों तक इस प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं कर पायेगी कि आप उनकी आजादी सदा के लिए छीन कर रख लें। इमरजेन्सी किसी मुल्क में आई है, तो वह एक महीने से ज्यादा नहीं रही है। और अपने यहाँ १७ और १८ महीने तक चलने की उम्मीद है, जैसा कि सुनते हैं कि प्रधानमन्त्री जी ने आचार्य जी को जवाब दिया है कि यह नवम्बर-दिसम्बर तक रहने की उम्मीद है। आप एक बार पावर में आ गये, तो आप सदैव के लिए देश के मालिक और सर्वेसर्वा नहीं बन गये। आप ही सब कुछ नहीं हैं कि आप सबको मनचाहे ढंग से मिटाकर रख दें। गाँधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया है, लेकिन कायरता के कारण नहीं, अगर उनकी बात आती, तो भी हिंसा हो सकती है। उन्होंने कहा था कि अहिंसा के असफल हो जाने पर मै लोगों से कहूंगा कि तलवारें उठायें स्वराज्य के लिए। मैं उनकी इस बात को उचित मानता हूं। यदि यह गैरकानूनी है, तो मैं इसको पुनः कहने को तैयार हूँ और अपने अपराध के विरुद्ध कार्यवाही की माँग करूँगा। मेरी पार्टी के लोग मुझसे नाराज थे तब, जब मैं कहता था कि सत्याग्रह के लिए किसी डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) में स्थान नहीं है। मैं काँग्रेस में था, तब भी मेरा ऐसा ही विचार था कि सत्याग्रह एक विद्रोह है। सत्याग्रह की राय गाँधी जी ने इसलिए दी थी कि हमारे पास हथियार नहीं थे। आजकल हर मुल्क की गवर्नमेंट शस्त्रों से सुसज्जित है, इसलिए हिंसा की गुंजाइश नहीं है। डेमोक्रेसी आई, यह डेमोक्रेसी ठीक तरह से चलती है तो सत्याग्रह की किसी को जरूरत नहीं। यही हमारा चुनाव-घोषणा-पत्र कहता था। यही उसमें लिखा हुआ है, यही हमने माना है। हिंसा की बात किस सन्दर्भ में कही है, यह आप सोचें। इलेक्शन में आप ईमानदारी न करें, हिम्मत के साथ बेईमानी करें, उसकी शिकायत की जाय तो जवाब मिले कि इलेक्शन पिटीशन में जाओ, जहाँ निर्णय पाँच साल में होता है। हिम्मत होती, तो तहकीकात कराते। गाँव में घुस नहीं पाते थे और दो सौ पन्द्रह की मजारिटी (बहुमत) ले आये कुछ अफसरों की कृपा से, तो दूसरे आदमी क्या करें। यदि आप येन-केन-प्रकारेण सत्ता में रहना ही चाहते हैं, चाहे बेईमानी करके हो, चाहे करोड़ों रुपये इस्तेमाल करके हो, चाहे गवर्नमेंट के साधनों का इस्तेमाल करके हो या फिर कम्बल और धोती बाँटकर हो या फिर कुछ न हो तो इमरजेन्सी घोषित करके हो, तो मैं कहता हूँ कि विपक्ष को हक हासिल है कि वह येन-केन-प्रकारेण, जिस तरह से हो, आपको सत्ता से निकाल बाहर करे। यह मै जानबूझ कर कहता हूँ। (व्यवधान)

चौधरी चरणसिंह—अगर आप नाजायज बात करेंगे, डेमोक्रेसी को नहीं मानेंगे और आप हमेशा पावर में रहना चाहेंगे, तो अपोजीशन (विपक्ष) को भी अधिकार है इस तरह के हथकण्डे इस्तेमाल करने का। रोज ही कहती हैं इन्दिरा जी, कि विपक्ष वाले मिले हुए हैं अमेरिका से। हम देशद्रोही हैं, रोज कहती हैं। माननीय नारायणदत्त तिवारी और सभी से जानना चाहता हूँ कि आपसे राय अलग रखना या यह कहना कि अमेरिका और यूरोप या रूस या चीन सबसे अपने, दूसरे के हित में ताल्लुकात रखना उचित है। न कोई हमारा दुश्मन है, न दोस्त है। हमारे जो सोशलिस्ट पार्टी के दोस्त हैं, उनके बारे में आपने शायद कुछ और सुना है। मेरा कुछ और हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमने अमेरिका से साजिश की है अपने देश के खिलाफ। इसका कोई सबूत है? आपको यह नहीं कहना चाहिए अगर आपके पास सबूत नहीं है। इन्दिरा जी रोज कहती हैं। बोलो कहाँ चले जायें? क्या करें? क्या करे अपोजीशन (विपक्ष)? आपकी प्राइम मिनिस्टर की रोज की तकरीर है कि हम लोग बाहर के देशों से मिले हुए हैं। अगर आपको यह बात अच्छी लगती है, तो लगे। इन्दिरा जी ने रोज इस बात को कहा है कि विपक्ष के नेता दुश्मनों से मिले हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या कहना है?

सरकारी पक्ष की ओर से·····जार्ज फर्नान्डीज की चिट्ठी इस आरोप की शहादत है·····

चौधरी चरणसिंह—यह जो चिट्ठी की बात आप कहते

हैं सो गवर्नमेंट के बहुत से संगठन और गवर्नमेंट समर्थक दूसरे देशों से बहुत सा धन पाते हैं, इससे नारायणदत्त तिवारी जी इन्कार नहीं करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि यह जो आपने उन पर (चार्ज) आरोप लगाया, हमने भी अखबार में पढ़ा, जब दिल्ली में थे। यह तब लगाया गया जब आपने इमरजेन्सी लगा दी और रेल कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में लगाया जो कि सन् १९७४ में हुई थी, क्यों नहीं उसी समय लगाया ?

श्री धर्मवीर–स्थिति तो तब सामने आई जब यह मालूम हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठने की कृपा करें। माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें।

श्री चरणसिंह–यह बेकार की बात है।

श्री धर्मवीर—यह पत्र पकड़ा गया।

श्री चरणसिंह–तो उसको प्रकाशित कराने में क्या हानि है ?

श्री धर्मवीर–मैं आपको उसकी प्रतियाँ दे दूंगा और आपके दल को भी दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि जो विवाद है वह राज्यपाल के अभिभाषण से परे है। मैं चाहूँगा कि अपने विचारों को सीमित रखें। राजनीतिक विवाद को लेकर विवाद किया जायेगा, तो स्थिति मेरे लिए कठिन हो जायेगी।

श्री चरणसिंह–मैं समझा नहीं कि मेरी क्या गलती है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न और उत्तर जो हो रहे हैं, उनसे मुझे दिक्कत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण तक ही सीमित रहें। राष्ट्रीय-स्तर पर चले जायें और जो विचार राज्यपाल के अभिभाषण पर करने हैं, उससे दूर चले जायें, तो मेरे लिए कठिन हो जायेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी–जो विवाद उत्पन्न करे, उसी को तो मना करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री रामनारायण पाठक–माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप हमारी बात को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–आप कृपा कर बैठ जाइये।

चौधरी चरणसिंह–उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा था कि इमरजेन्सी क्यों लागू की गयी। प्राइम मिनिस्टर ने अनेक बार यह कहा है कि अपोजीशन लीडर्स का दूसरे देशों से सम्बन्ध है। जिसका मतलब है कि हम देश के दुश्मन हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि इन्दिरा जी अनेक बार यह कह चुकी हैं, हजारों बार कह चुकी हैं कि अपोजीशन लीडर्स का दूसरे देशों से सम्बन्ध है। यह चार्ज है। इससे बड़ा चार्ज कोई नहीं हो सकता है एक पोलिटिकल (राजनीतिक, आदमी के लिए।

श्री रामनारायण पाठक–मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका जवाब दे दिया जाये।

श्री चरणसिंह–आपका तात्पर्य है कि मैं गलत कह रहा हूँ। आप जिस ढग से कह रहे हैं, राजनीतिक विवाद में फँस जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–माननीय सदस्य बैठ जायें, बीच में न बोलें।

श्री चरणसिंह–मैंने पूछा कि पहले क्यों नहीं पेश किया। पत्र फर्नान्डीज साहब का है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, सजा हो जाये तो हम निन्दा करेंगे।

चौधरी चरणसिंह–यह कानून है, जिसके पास कोई जवाब नहीं होता वे ही यह कहते हैं कि हम लोग दुश्मनों से मिले हुए हैं। आप उन पर न्यायालय में मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं ?

औद्योगिक उत्पादन के बारे में कहा जाता है कि यह इमरजेंसी से पहले जमाने में बहुत कम हो गया था, अब बढ़ गया है। बहुत खूब, आपकी नाकाबिलियत से जो गड़-बड़ियाँ पैदा हुई हैं, उसके लिए भी क्या हमारी जिम्मेदारी है। टी० यू० सी० शायद श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है, जो आपके दोस्त सी० पी० आई० के हाथ में है। अगर हड़-ताल हुई होगी, तो आपके दोस्तों ने करायी होगी। एक दूसरा संगठन है आई० टी० यू० सी०।

श्री भीखालाल—इन आठ-नौ महीनों में देश में प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ गया है।

चौधरी चरणसिंह—आप जब चाहते हैं, तो बढ़ जाता है और जब आप चाहते हैं तो घट जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के जो सार्वजनिक महत्वपूर्ण संगठन हैं, वे आपके हाथ में हैं, विरोधी दलों के हाथ में नहीं हैं, नाकाबिलियत अपनी और जिम्मेदारी विपक्ष की।

आपके २० प्वाइन्ट्स (सूत्र) हैं, उनमे कहा गया है कि विद्यालयों एवं छात्रावासों में विपक्ष वाले अनुशासनहीनता फैलाते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोग फैलाते हों, लेकिन काँग्रेस वाले भी कम नहीं हैं। हमने सन् १९७० में निश्चय किया था कि कम्पलसरी स्टूडेंट्स यूनियन (अनिवार्य छात्र संघ) होना उचित नहीं है। नतीजा यह हुआ कि हालाँकि काँग्रेस वालों ने और विपक्ष वालों ने भी लड़कों को भड़-काया, लेकिन न कोई गोली चली, न कहीं पर हिंसा हुई। मुमकिन है दस–बीस लड़के गिरफ्तार हुए हों और उस वर्ष सबसे अधिक पढ़ाई हुई। जिस तरह की पढ़ाई हुई और विद्यालयों में शान्ति रही, उसके बारे में मेरे पास अनेक पत्र आये, जिनमें कहा गया था कि इतनी पढ़ाई विगत २० सालों में भी नहीं हुई। आपके लीडर त्रिपाठी जी आये। ५ तारीख को पावर (शासन) में और आते ही उन्होंने वह आर्डिनेंस (अध्यादेश) वापस ले लिया और फिर अनिवार्य यूनियंस बनी। नतीजा क्या हुआ, यूनिवर्सिटी जली। आज तक कहीं इतना बड़ा काण्ड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था, (श्री त्रिपाठी) उनकी तरक्की हो गयी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर लड़कों के झगड़े हुए हैं, तो कौन है इसका जिम्मेदार ? जब गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हुई कि यूनियंस न हों, तो आपकी ओर से कोशिश हुई कि हों। जब मैं जेल (दिल्ली में) था, तो वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी थे (एस० एच० ओ०)। उन्होंने मुझे बताया है कि जब कभी बस जलाने में या यूनिवर्सिटी कैम्पस में बदमाशी करने की वजह से लड़कों को गिरफ्तार किया गया, तो हमेशा काँग्रेस के लीडरों की ओर से कहा गया कि उनके ऊपर केस न चलाओ। शिका-यत दर्ज कर लो और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दो, लेकिन अनुशासनहीनता कराने का दोष दिया जाता है हमको।

एक तर्क हमारे विरुद्ध यह भी दिया गया है कि हम लोग प्रधानमन्त्री के पद की बदनामी करते थे। कहा गया है कि हम उनकी शान नहीं बढ़ने दे रहे थे। हम तो चाहते हैं कि उनकी शान बढ़े, लेकिन डेमोक्रेसी में हमेशा यह होता है कि अपने काम से ही अपनी शान बढ़ती है। क्या हमने बिल्सन साहब की शान बढ़ा दी है। उन्होंने अपने आप कहा कि मैं आठ साल तक प्राइम मिनिस्टर (प्रधानमन्त्री) रह चुका हूँ, अब और अधिक समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहता; लेकिन हमारी बहिन जी ने टेलीविजन पर इन्टरव्यू देते हुए कहा कि अभी तो मेरा काम बाकी है। क्योंकि गवनमेंट का काम बाकी है। देश है, सरकार है, हमेशा समस्यायें बनी रहेंगी। लिहाजा हमेशा ही देश को इन्दिरा जी चाहिये। मै पूछना चाहता हूँ कि इससे उनकी शान बढ़ेगी या घटेगी ? मैं कहता हूँ कि किसी के कहने से मेरी शान नहीं घटेगी, मेरे कुकर्मों से ही घटेगी। आप मुल्क को किधर ले जा रही हैं ? आप चाहते हैं कि देश में एक दलीय शासन हो और सिवाय काँग्रेस के कोई दूसरी पार्टी न रहे ?

अभी तामिलनाडु में क्या हुआ ? मार्च के महीने में वहाँ की विधानसभा की अवधि खत्म होने वाली थी, लेकिन आपकी सरकार ने केवल डेढ़ महीने पूर्व वहाँ की प्रदेशीय सरकार और असेम्बली को बर्खास्त करके अपने कब्जे में वहाँ का शासन ले लिया। मैं जानता हूँ कि क्यों ले लिया ? वे तो कहते थे कि आप दोनों चुनाव लोकसभा और विधान सभा के साथ-साथ करायें और अगर पार्लियामेंट का नहीं कराते हैं, तो विधानसभा को भी मुल्तवी करा दें। फिर भी एक-दो महीने पूर्व ही बर्खास्त करके शासन को अपने हाथ में